उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2008
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या, वर्ष 2008)
उत्तराखण्ड में विश्वविद्यालयों के गठनए संचालन एवं विनियमन हेतु विधेयक
भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में यह निम्नवत रूप में अधिनियमित है-

अध्याय - 1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रवर्तन-

1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 है।

(2) यह उस तिथि को प्रवृत होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और वर्तमान विभिन्न विद्यमान विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विभिन्न तिथियां नियत की जा सकेगी और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है जिसकी यह अधिनियम उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रवृत हुआ है।

परिभाषाएँ-

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होरू.

(क) "शैक्षिक परिषद", "सभा" और "कार्यपरिषद" से विश्वविद्यालय की क्रमशः शैक्षिक परिषद, सभा और कार्य परिषद अभिप्रेत है;

(ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से, ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो अधिनियम के उपबंधों तथा किसी विश्वविद्यालय के परिनियम के अनुसार उस विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, जिसमें विभिन्न नामों वाली स्ववित्तपोषित संस्थाएं समाविष्ट है;

(ग) "विश्वविद्यालय का क्षेत्र" से, विश्वविद्यालय के संदर्भ में, यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा धारा 4 और 5 के अधीन या द्वारा, विर्निदिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;

(घ) "सहयुक्त महाविद्यालय" से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबंधों के अधीन, विश्वविद्यालय की उपाधि ग्रहण करने के निमित्त आवश्यक शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत हो ;

(ड) "स्वायत्त महाविद्यालय" से कोई संबद्ध महाविद्यालय अभिप्रेत है, जो धारा 58 के उपबन्धों के अनुसार ऐसा घोषित किया जाय ;

(च) "विश्वविद्यालय के प्राधिकारी" से इस अधिनियम के धारा 28 में उल्लिखित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "परिसर" से ऐसा परिसर अभिप्रेत है ,जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित और वित्त पोषित हो और इस अधिनियम तथा संगत परिनियमों के अधीन ऐसा घोषित किया जाय;

(ज) "निदेशक" से किसी संस्थान के संबंध में, धारा 59 के अधीन स्थापित संस्थान के शैक्षिक और प्रशासनिक अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(झ) "परिसर के निदेशक" से धारा 26 के अधीन ऐसे परिसर का प्रशासनिक प्रभारी अभिप्रेत है;

(ञ) "संकाय" से, विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अन्तर्गत एवं अधिनियम की धारा 37 और तत्सम्बन्धी परिनियमों के अधीन उस रूप में घोषित संकाय अभिप्रेत है ;

(ट) "आधारपरक पाठ्यक्रम" से अध्ययन के ऐसे आधारभूत पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जो स्वचेतना और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण के वृहत्तर जागृति का संवाहक हो ;

(ठ) "विश्वविद्यालय का छात्रावास" से छात्र के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित अथवा मान्यता प्राप्त हो और "सम्बद्ध या संघटक महाविद्यालय के छात्रावास" से उस महाविद्यालय के छात्रों के निवास की इकाई अभिप्रेत है ;

(ड) "संस्थान" से धारा 59 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा कोई संस्थान अभिप्रेत है;

(ढ) "अनुरक्षण अनुदान" से किसी महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान अभिप्रेत है;

(ण) "प्रबन्धन" से, किसी सम्बद्ध या संघटक महाविद्यालय या स्ववित्त पोषित संस्थान के संबंध में ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिस पर उस महाविद्यालय या संस्थान के कार्यकलाप के प्रबन्ध का भार है और जो विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो;

परन्तु यदि कोई महाविद्यालय स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित (नियमानुसार) हो तो "प्रबन्धन" से उस स्थानीय निकाय की शैक्षिक समिति अभिप्रेत है और प्रबन्धकारिणी के अध्यक्ष से ऐसी समिति के सभापति अभिप्रेत है:

(त) "विश्वविद्यालय के अधिकारीगण और कृत्यकारी" से अधिनियम की क्रमशः धारा 9 और धारा 21 से 24 के उपबन्धों के अनुरूप घोषित कृत्यकारीगण अभिप्रेत है;

(थ) "नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो" से वही अर्थ होगा, जो उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त उत्तरप्रदेश लोक सेवाएं (अनुसूचित जातियों**,** अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्ग) अधिनियम 1994 में है;

(द) "विहित" से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ध) "प्राचार्य" से किसी सम्बद्ध (अनुदान प्राप्त सहयुक्त या स्ववित्त पोषित) महाविद्यालय के संबंध में, ऐसे महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है;

(न) "सम्पत्ति" से किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में, ऐसी समस्त चल या अचल सम्पत्ति अभिप्रेत है ,जो महाविद्यालय की हो या महाविद्यालय के लाभार्थ पूर्ण रूप से या आंषिक रूप से प्रदत्त हो ,जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सहित), कार्यशाला, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, औजार, फर्नीचर,लेखन सामग्री, स्टोर, स्वचालित वाहन या अन्य वाहन, यदि कोई हो; सम्मिलित हैं और महाविद्यालय से सम्बद्ध वे सभी वस्तुएं जैसे हस्तगत धन, बैंक में जमा धनराशि, निवेश और अंकित ऋण एवं ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त अधिकार एवं हित, जो महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, अधिकार या नियंत्रणाधीन हो और लेखा पंजिका और अन्य सभी अभिलेख, जो किसी भी प्रकृति के हों और महाविद्यालय की सभी विद्यमान देनदारियां, दायित्व एवं वैधानिक अनुग्रह भी इसमें सम्मिलित समझे जायेंगे, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों।

(प) "पंजीकृत स्नातक" से इस अधिनियम उसके द्वारा निरसित अथवा अधिक्रमित किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत विश्वविद्यालय का कोई स्नातक अभिप्रेत है;

(फ) "स्ववित्त पोषित संस्था" से ऐसा महाविद्यालय या संस्थाएँ अभिप्रेत है, जिनको इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में सम्बद्धता प्रदत्त हो;

(ब) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत है,

(भ) "शिक्षक" से शिक्षण प्रदान करने, या/और अनुसंधान तथा विस्तार कार्यों में संचालन एवं मार्गदर्शन हेतु किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्राचार्य भी है;

(म) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" से ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय परिसर में उसके द्वारा पोषित किसी संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित परिसर में शिक्षण अथवा अनुसंधान तथा विस्तार कार्यों में मार्गदर्शन या संचालन और उद्यमिता विकास के लिये विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित हो;

(य) "विश्वविद्यालय" से कोई विद्यमान विश्वविद्यालय या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात धारा 4 के अधीन स्थापित कोई नया विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

टिप्पणी: इस अधिनियम में प्रयुक्त अन्य शब्दावली का वही अर्थ होगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

अध्याय - 2
विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयों का निगमन

3. (1) किसी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति से और कार्यपरिषद, सभा और शैक्षिक परिषद के रूप में तत्समय पद धारण करने वाले सदस्यों से मिलकर एक निगमित निकाय उस विश्वविद्यालय के नाम से गठित होगा।

(2) प्रत्येक विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और अपने नाम से वह वाद योजित करेगा और उसके विरूद्ध वाद योजित किया जा सकेगा।

नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों अथवा नामों में परिवर्तन

4. (1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों के लिए उस तिथि से, जो राज्य सरकार इस निमित राजपत्र में अधिसूचित करे, विश्वविद्यालय स्थापित किये जा सकेंग;

(एक) परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर स्थित कोई भी शिक्षण संस्थाए राज्य सरकार की संस्वीकृति के सिवाय, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायेगी और विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत स्थित कोई भी शिक्षण संस्थाए राज्य सरकार की संस्वीकृति के सिवायए विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की सम्बद्धता हेतु नहीं आवेदन करेगी न ही सम्बद्ध रहेगी,

(दो) खण्ड (एक) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के संबंध में, राज्य सरकारए इन विश्वविद्यालयों के अन्तरिम अधिकारी (कुलाधिपति से भिन्न) नियुक्त करेगी और ऐसी रीति से अंतरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी, जैसा वह उचित समझे;

(तीन) खण्ड (दो) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकरणों के सदस्यए खण्ड (चार) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों के गठित किये जाने तक या इससे पूर्ववर्ती ऐसी तिथि तक, जो इस निमित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएए पद धारण करगे;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढा सकती है;

(चार) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, ऐसे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिए उपाय करेगी, जिससे खण्ड (दो) के अधीन नियुक्त अन्तरिम अधिकारियों और सदस्यों के सम्बन्धित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व यह कार्य पूर्ण किया जा सके;

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा;

(एक) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र और/या शैक्षणिक अधिकारिता को बढा या कम कर सकेगी;

(दो) विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर सकेगी;

परन्तु यह कि ऐसी कोई अधिसूचना राज्य के विधानमण्डल के पूर्वानुमोदित संकल्प के बिना जारी नहीं की जायेगी।

(तीन) इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में, अनुसूची और ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने वाले विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का संशोधन करने के लिये उपबन्ध हो सकेगे, जो इस अधिसूचना के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो और तत्पश्चात अनुसूची तथा संगत परिनियम, अध्यादेश और विनियम तद्नुसार संशोधित हो जायेंगे।

(चार) उपधारा (3) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध हो सकेंगे; अर्थात्.

(एक) उक्त अधिसूचना से प्रभावित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों में विभिन्न हितों अथवा वर्गों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित उपबन्ध;

(दो) तत्समय विद्यमान किसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक बने रहने अथवा किसी नए स्थापित विश्वविद्यालय में पंजीकृत कराने के विकल्प का प्रयोग करने के लिये उपबन्ध इस वर्ष पर कि कोई व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय का पंजीकृत स्नातक नहीं होग;

(तीन) ऐसे अन्य अनुपूरक, आनुशंगिक और पारिमाणिक उपबन्ध, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर आवश्यक समझे।

(5) यह अधिनियम समस्त विद्यमान विश्वविद्यालयों (1. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय, 2. कुमाऊं विश्वविद्यालय, 3. उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, 4. दून विश्वविद्यालय, 5. उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय) तथा उन विश्वविद्यालयों पर, जो भविष्य में स्थापित किए जायें, उस सीमा तक लागू होगा जहां तक यह अधिनियम विश्वविद्यालय के कार्य की प्रकृति के प्रतिकूल न हो। जहां कार्य की प्रकृति प्रतिकूल है, वहां, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय के मामले में उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 23 सन् 2005) दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 को अधिसूचना संख्या 608/विधायी और संसदीय कार्य/2005 द्वारा राजपत्र में अधिसूचित, दून विश्वविद्यालय के मामले में दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2005) दिनांक देहरादून 26 अप्रैल, 2005 को अधिसूचना संख्या 489/विधायी और संसदीय कार्य/2005 द्वारा राजपत्र में अधिसूचित और उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय के मामले में, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम**,** 2005 जैसा कि अधिसूचना संख्या 488/विधायी और संसदीय कार्य/2005 दिनांक, देहरादून, 21 अप्रैल, 2005 से अनुकूलित एवं संशोधित है, के उपबन्ध लागू होंगे।

शक्तियों का राज्य क्षेत्र में प्रयोगः-

5. इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, अनुसूची में उसके सामने तत्समय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा-

6. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा, चाहे वे किसी भी वर्ग, जातिए लिंग या मत के हो, किन्तु इस धारा की कोई बात, किसी विशेष पृष्ठभूमि के व्यक्ति, व्यक्तियों, जाति या वर्ग के लिए, जिसे विधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है, भेदभाव को रोकने के लिए, विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकेगी;

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों, जैसा सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये, के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना प्रतिबन्धित है।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्त्तव्य-

7. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्त्तव्य होंगे, अर्थात्-

(क) ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करना, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, और परामर्श सेवा सहित अनुसंधान, विस्तार कार्यों में ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

परन्तु यह कि अनुसंधान और विस्तार कार्य के क्षेत्रों को ऐसी रीति से प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा/ज्ञान के तीन क्षेत्रों में शिक्षा प्रथम होने के कारण शिक्षण के कृत्यों का अधिक्रमण न हो;

(ख) शिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार कार्यों का पुर्न्नायोजन और अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ परामर्श एवं सहयोग और उद्यमिता विस्तार ऐसी रीति से, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, जिससे शैक्षणिक अभिवर्धन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की गति तीव्र करने और नई सामाजिक मांगों के साथ चलने के लिए अन्तर/बहुविषयी केन्द्रों/विभागों की स्थापना को सम्मिलित किया जा सके;

(ग) शिक्षा की सम्भावनाओं के विस्तार हेतु राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय और अन्य संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय को सम्बद्ध करना तथा उनसे सहयुक्त रहना;

(घ) छात्रों को रोजगार बाजार में प्रवेश करने और प्रतिस्पर्धि बनाने, उनमें उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, सुधि नागरिकों के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सुसज्जित करने के उद्देश्य से उनके नैतिक चरित्र एवं क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करना;

(ङ) पीठ, उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को संस्थित करना;

(च) किसी महाविद्यालय या विभिन्न नामों वाले स्ववित्त पोषित संस्थाओं को सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से ही यथास्थिति, सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों में वृद्धि या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना, या उसमें करना और सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित संस्थाओं का मार्ग-दर्शन करना तथा उनके कार्य का नियंत्रण करना;

(छ) ऐसे व्यक्तियों को और के लिए (किसी लिंग, जाति, मत या अन्यथा विकलांगता के भेदभाव के बिना) परीक्षाएं आयोजित करना, जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर, संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय या स्ववित्त पोषित संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो या विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित मान्यताप्राप्त किसी संस्था या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो या जिसे किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त हो और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना,

(ज) परिनियमों में अधिलिखित रीति और शर्तों के अधीन सम्मानित उपाधियां अथवा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करना;

(झ) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हो, ऐसी उपाधियां, प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा प्रदान करना तथा उनके लिये ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और प्राधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित ऐसे शैक्षणिक और अन्य पदों को संस्थित करना, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे और राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात ऐसे संस्थित पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(ठ) महाविद्यालयों और स्ववित्त पोषित संस्थाओं की सम्बद्धता तथा मान्यता संबंधी शर्तें निर्धारित करना और समय-समय पर निरीक्षणों द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही है;

(ड) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार आर्धछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ढ) विश्वविद्यालय परिसरों, संस्थानों या संघटक, सम्बद्ध या सहयुक्त और सम्बद्ध स्ववित्त पोषित संस्थाओं के छात्रों के लिए छात्रावासों को संस्थितए सृजित एवं अनुरक्षित करना और उनके लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना;

(ण) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना और प्राप्त करना, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा नियत किये जाये;

(त) विश्वविद्यालय परिसरों, संस्थानों और संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध स्ववित्त पोषित संस्थाओं के छात्रों के निवास का पर्यावेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और ऐसे निबन्धन लगाना और व्यवस्था करना, जो उनके स्वास्थ्य में सुधार, चरित्र और कल्याण के लिए आवश्यक समझे जाये;

(थ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित ऐसे समस्त कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुशंगिक हो या न हो।

अध्याय - 3
निरीक्षण और जाँच

निरीक्षण/भ्रमण

8. (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, उसके परिसर (परिसरों), संस्थानों, संघटक, सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों तथा स्ववित्त पोषित संस्थानों, जिसमें उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं और उपस्कर भी सम्मिलित हैं; और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालयों या संस्थानों और स्ववित्त पोषित संस्थाओं द्वारा संचालित या कराई गई परीक्षाओं, अध्यापन तथा अन्य कार्य का निरीक्षण कराने अथवा इसी प्रकार विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों, संस्थानों या स्ववित्त पोषित संस्थानों के प्रशासन या वित्त सम्बन्धी किसी विषय के संबंध में जांच करने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चित करे, तो वहए उसकी सूचना कुल सचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और ऐसे निरीक्षण या जांच में कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा और सम्बद्ध संस्थाओं के मामले में (स्ववित्त पोषित अथवा सरकार द्वारा अनुदानित) ऐसे निरीक्षण और ऐसी जांच के समय संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में, यथास्थिति, प्रबन्ध अथवा शिक्षा समिति द्वारा नामित व्यक्ति को उपस्थित रहने हेतु सूचित करेगी और ऐसे व्यक्ति को इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा या न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं के प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनार्थ, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को संबोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में, राज्य सरकार की सलाह कार्यपरिषद को अधिसूचित करेगी।

(5) कुलपति, तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे, उसे कार्यपरिषद द्वारा की गयी या की जाने के लिये प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, उचित समय के अन्दर, राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करें तो राज्य सरकार, किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार, कुलाधिपति को, उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की, और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निर्देश की और ऐसे निर्देशों का पालन करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियां भी भेजेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी किसी जांच की कोई रिपोर्ट भी है, विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय है कि कार्यपरिषद अपने कृत्यों के निर्वहन में असफल रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया है, तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात यह आदेश दे सकती है कि उक्त कार्यपरिषद को अवक्रमित करते हुए एक तदर्थ कार्यपरिषद, जिसमें कुलपति और दस सदस्यों से अनधिक ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनमें अधिक्रमित कार्य परिषद के सदस्य भी शामिल है, जिन्हें सरकार इस निमित नियुक्त करे, दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि, जो समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये और उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन, के लिए कार्यपरिषद के कतिपय या समस्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी।

(9) उपधारा (8) के अधीन गठित तदर्थ कार्यपरिषद की संरचना पर धारा 29 की कोई बात लागू नहीं होगी।

(10) उपधारा (8) के अधीन आदेश दिये जाने पर, उससे अधिक्रमित कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों का, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी हैं, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और ऐसे समस्त सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

(11) उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में इस अधिनियम के उपबन्ध, निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्;

(क) धारा 29 की उपधारा (4) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित समझी जाएगीः-

(5) कार्य परिषद की प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बैठक होगी,

(ख) धारा 30 की उपधारा (1) में इस अधिनियम के उपबन्धो के अधीन रहते हुए शब्दों के तथा राज्य सरकार के भी नियंत्रणाधीन रहते हुए शब्द अन्तःस्थापित समझे जायेंगे।

(ग) धारा 34 की उपधारा (2) में विर्निदिष्ट और सभा सदस्यों कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों से हस्ताक्षर से लिखित अध्यवेशा मांग पर शब्दों का लोप कर दिया जायेगा।

(12) उपधारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति से, धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार एक नई कार्यपरिषद गठित की जायेगी।

(13) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वे उपधारा (11) के उपबन्धों के कारण उपांतरित समझे जायेंगे, उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में बनाया गया कोई परिनियम, अध्यादेश, विनियम या किया गया आदेश ऐसी अवधि के समाप्त होने पर भी तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संशोधित, निरासीत या विखंण्डित न कर दिए जाए।

अध्याय - 4
विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कृत्यकारी
क. अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी .

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे-

(क) कुलाधिपति,

(ख) कुलपति,

(ग) प्रति-कुलपति,

(घ) कुलसचिव,

(च) वित्त अधिकारी,

(छ) परीक्षा नियंत्रक,

(ज) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

10.(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान व सभा का सभापति होगा और जब वह उपस्थित हो, तो सभा के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

(2) सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(3) कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करें।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाये।

कुलपति

11.(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की संस्तुति पर, ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन गठित समिति द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायें,

परन्तु विश्वविद्यालय और किसी सम्बद्ध, सहयुक्त और स्वायत्त महाविद्यालय में कार्यरत किसी व्यक्ति को कुलपति नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा जो "तलाश (सर्च) समिति" कहलाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्-

(एक) (क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद्,

(ग) कुलाधिपति का एक नामिति,

(घ) कार्यपरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य,

(ङ) सदस्य सचिव के रूप में प्रमुख सचिव/सचिव

(दो) राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। सचिवए उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन तलाश (सर्च) समिति का संयोजक होगा;

परन्तु यदि कार्यपरिषद खण्ड (एक) के अनुसार किसी व्यक्ति के निर्वाचन में असफल रहती है तो राज्य सरकार, कार्य परिषद के प्रतिनिधि के बदले एक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगी।

(तीन) तलाश (सर्च) समिति, वर्णाक्षर क्रम में, शैक्षणिक और प्रशासनिक विशिष्टताएं दर्शातें हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव वाले, कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन प्रख्यात शिक्षाविदों की नामिका (पैनल) राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। तलाश (सर्च) समिति द्वारा संस्तुति करते समय पैनल में संस्तुत व्यक्तियों की अधिकतम आयु 70 वर्ष से कम होगी। राज्य सरकार द्वारा संस्तुति कुलाधिपति को प्रेशित की जायेगी।

(3) उपधारा (7) के अधीन कार्यकाल की समाप्ति अथवा त्यागपत्र के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति, उसकी तिथि से, यथाशक्य कम से कम 60 दिन पूर्व और जब कभी भी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए और ऐसी तिथि के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति वर्णाक्षर क्रम में कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन नाम राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। समिति राज्य सरकार को नाम प्रस्तुत करते समय संस्तुत व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं तथा अन्य विशिष्टताएं दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण भी प्रेशित करेगी किंतु वह इसमें कोई अधिमान क्रम इंगित नहीं करेगी।

(4) जहां राज्य सरकार तलाश (सर्च) समिति द्वारा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से किसी नाम को कुलपति के पद के लिए उपयुक्त नहीं समझती है अथवा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और राज्य सरकार की राय केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहे तो वह दो माह के अन्दर, उपरोक्त उपधाराओं के अनुसार, कुलपति की नियुक्ति के लिए तलाश (सर्च) समिति से नई नामिका प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(5) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया गया, जिसके संबंध में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था या गणपूर्ति पूर्ण नहीं थी।

(6) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। (यदि राज्य सरकार विनिश्चिय करे और उसके कार्य निष्पादन से संतुष्ट हो तो इसे दो वर्ष तक बढाया जा सकता है) कुलपति को उसके तीन वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से चार माह पूर्व कार्यकाल बढाये जाने से संसूचित किया जायेगा। कोई भी कुलपति एक ही विश्वविद्यालय में एक से अधिक कार्यकाल के लिए कुलपति नहीं होग;

परन्तु यह कि कुलपति, कुलाधिपति और राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्तलिखित त्यागपत्र द्वारा, कम से कम छह माह के नोटिस देने के उपरान्त, अपना पद छोड देगा और राज्य सरकार तथा राज्य सरकार की संस्तुति से कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने परए पद धारण नहीं करेगा।

(7) आपात स्थिति से निपटने के लिए कुलाधिपति को, निम्नलिखित परिस्थितियों में, राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को छह माह से अनधिक की अवधि के लिए कुलपति नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(क) जहां कुलपति का पद अवकाश लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना संभाव्य हो तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा राज्य सरकार को तुरंत दी जायेगी;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति;

परन्तु राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढा सकेगी, किन्तु इस प्रकार ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) दो वर्ष से अधिक न हो।

(8) कुलपति किसी पेंशन, बीमे या धारा 44 के अधीन गठित भविष्य निधि का हकदार नहीं होगा।

(9) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण न कर ले तो तब तक राज्य सरकार कुलपति के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति को कुलपति अथवा प्रतिकुलपति उसी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रध्यापकों में से नियुक्त कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।

(10) यदि, राज्य सरकार की राय में, कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इंकार करता है या स्वयं में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है अथवा राज्य सरकार को अन्यथा प्रतीत होता है कि कुलपति का अपने पद पर बना रहना विश्वविद्यालय या राज्य के लिए अहितकर है तो राज्य सरकार, जैसा वह उचित समझे, कारण बताते हुए कुलपति को तत्कालिक प्रभाव से पद से हटाने की संस्तुति कुलाधिपति से कर सकेगी। कुलाधिपति द्वारा तत्कालिक प्रभाव से सेवामुक्ति आदेश, राज्य सरकार की संस्तुति से जारी किया जायेगा।

(11) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किन्हीं कारणों से जांच के विचाराधीन रहने की अवधि में ऐसी जांच के अनुध्यात रहते हुए अथवा कुलाधिपति, राज्य सरकार की संस्तुति से यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रेत्तर आदेश न दिया जाये-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी, जिनके लिए वह उपधारा (8) के अधीन अन्यथा हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(12) निधियों के दुर्वियोजन या कुप्रबन्ध या ऐसे दुर्व्यवहार या कदाचार के आरोपों के आधार परए जो इस उच्च पद के लिए अशोभनीय है, लिखित रूप में कारण बताते हुए या दो माह के अन्दर पूर्ण की जाने वाली समयबद्ध जांच के पश्चात कुलाधिपति को राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलपति को उसके पद से हटाने की शक्ति होगी।

कुलपति की सेवा शर्तें-

12.(1) कोई व्यक्ति कुलपति नियुक्त किये जाने पर, सरकार के आदेशों के अनुसार, नियुक्ति आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह और तीन माह से अनधिक अवधि के भीतर पद ग्रहण करेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, कुलपति की सेवा शर्ते व परिलब्धियां ऐसी होंगी, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की जायें।

कुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य-

13.(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, और -

(क) विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित परिसर, संघटक महाविद्यालय, संस्थान और उसके सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित संस्थान भी हैं, के कार्यकलापों पर सामान्य परिवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चियों को कार्यान्वित करेगा;-

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, सभा (कोर्ट) के अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और समुचित समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जाय और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।

(2) वह कार्यपरिषद, शैक्षिक परिषद और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर, मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनिमय, और परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें और धारा (10) के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाये।

(5) कुलपति को कार्यपरिषद, सभा, शैक्षिक परिषद तथा वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी;

परन्तु यह कि सरकार कुलपति की कतिपय शक्तियां, विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति को प्रत्यायोजित करने के आदेश दे सकती है।

(6) जहां कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति से भिन्न तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति, ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह राज्य सरकार तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा, जो साधारण क्रम में मामले के संबंध में कार्यवाही करते;

परन्तु यह कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों से कोई विचलन हो तो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना, कुलपति ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी तथा अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो यह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपांतरित करेगा, जैसा वह ठीक समझे और तदोपरान्त वह कार्यवाही, यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावित होगीए किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा;

परन्तु अग्रेतर यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित होए ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध उस दिनांक से, जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चिय से अभिसूचित किया जाये, तीन माह के भीतर राज्य सरकार को अपील करने का अधिकार होगा और तदोपरांत राज्य सरकार, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकती हैं और इस विषय में इस प्रकार लिया गया विनिश्चिय, सामान्यतः प्रत्यावेदन की प्राप्ति/स्वीकृति की तिथि के छह माह के अन्दर सम्बन्धित पक्षों को अभिसूचित किया जायेगा।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा, जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में न की गयी हो। किन्तु असाधारण मामलों में, असाधारण अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, वह विहित दरों से अधिक देय की संस्वीकृति प्रदान कर सकेगा। ऐसे सभी मामले यथाशीघ्र राज्य सरकार के संज्ञान में लाये जायेंगे।

(8) जहां कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके किसी कृत्यकारी की नियुक्ति की गयी हो तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति से नियुक्ति दी जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छह मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति को, कार्यपरिषद के अनुमोदन तथा राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षक को पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति करने की शक्ति होगी;

परन्तु यह कि पुनर्नियुक्त अध्यापकों की संख्या, किसी नियत समय में प्रतिसंकाय एक अध्यापक से अधिक नहीं होगी और इस प्रकार पुर्ननियुक्त शिक्षक किसी प्रकार से विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यकलापों के प्रशासन में सम्मिलित नहीं होगा।

(10) कुलपतिए राज्य सरकार के परामर्श एवं पुर्वानुमोदन सेए जब कभी अपेक्षित हो विश्वविद्यालय के शिक्षक के कतिपय पदो के सृजन और वर्तमान शैक्षिक पदो के एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग या एक विभाग से दूसरे विभाग में परिवर्तन सम्बन्धी विषय विनिश्चित करेगा।

(11) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जोकि परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाय।

प्रति-कुलपति

14.(1) प्रति-कुलपति, राज्य सरकार द्वारा आचार्यों में से ऐसी रीति से और ऐसी सेवा शर्तों और निबन्धनों पर नियुक्त किया जायेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, जैसा विहित किया जाये।

(2) प्रति-कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और अधिकतम दो अधिक वर्षों के लिए बढाया जा सकेगा। प्रति-कुलपति, एक ही विश्वविद्यालय में, एक और कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) वह, कुलपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का अनुपालन करेगा, जिन्हें राज्य सरकार उसे सौंपे या प्रत्यायोजित करें।

(4) प्रति-कुलपति, कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(5) यदि कुलपति जानबूझकर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में प्रतिकुलपति की उपेक्षा या अवहेलना करता है तो राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी और यदि अपेक्षित हुआ तो तथ्यों का सत्यापन करेगी और आवश्यक आदेश जारी करेगी।

(6) प्रतिकुलपति (समय-समय पर संशोधित कुलपति और आचार्य के वेतनमान के बीच के) वरिष्ठ आचार्य के वेतनमान में नियुक्त किया जायेगा।

(7) राज्य सरकार कोट, निधियों के दुर्विनियोजन, या कुप्रबन्धन या ऐसे दुर्व्यवहार या कदाचार के आरोपों के आधार पर, जो इस उच्च पद के लिए अशोभनीय हो, कारण बताते हुए या दो माह के अन्दर पूर्ण की जाने वाली समयबद्ध जांच के बाद लिखित आदेश द्वारा, प्रतिकुलपति को उसके पद से हटाने की शक्ति होगी।

वित्त अधिकारी

15. (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी तथा उसके पारिश्रमिक तथा भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी, सभा के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे कार्यपरिषद में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :-

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न होए न किया जाय,

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो परिनियमों तथा अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो,

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबंध किया जा रहा है।

(5) वित्त अधिकारी की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालयों की ओर से सभी संविदाएं करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां या कृत्य वे होंगे जो विहित किए जाएं।

कुलसचिव

16.(1) कुलसचिव की नियुक्ति तथा उसकी सेवा की शर्तें धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियंत्रित होगी।

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। किसी आपात स्थिति में राज्य सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं/राज्य उच्च शिक्षा सेवाओं में वरिष्ठ वेतनमान/प्रांतीय सिविल सेवा (पी0सी0एस0) के चयन श्रेणी के अधिकारी या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त कर सकती है।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्राणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुल सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, सभा (कोर्ट)ए शैक्षिक परिषद, प्रवेश समिति तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिये प्रत्येक नियुक्त समिति का पदेन सचिव होगा, तथा वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का भी पालन करेगाए जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्यपरिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुलसचिवए विश्वविद्यालय के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा और उनके स्थानांतरण और तैनाती के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) उन मामलों के सिवायए जहां कार्य परिषद द्वारा अन्यथा निर्देश दिया जाये, कुल सचिव परीक्षाओं से संबंधित गोपनीय कार्य और गोपनीयता बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सम्बद्धता और संस्थागत कार्यकलापों से सम्बन्धित सभी विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) कुलसचिवए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के निरीक्षणों के संचालन और साधारण तथा समग्र पर्यवेक्षण के लिए जैसा विहित किया जायेए उत्तरदायी होगा।

(9) कुल सचिव को वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यालय प्रधान की समस्त शक्तियां होगी, तथापि राज्य सरकार संस्वीकृति की सीमा में वृद्धि कर सकती है।

(10) कुल सचिव को धारा 20 के अधीन बनाए गए नियमों में यथाउपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

कुलसचिवों, उफलसचिवों और सहायक कुलसचिवों की सेवाओं का केन्द्रीयकरण -

17. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाकर, कुलसचिवों, उफलसचिवों और सहायक कुलसचिवों की एक ऐसी पृथक सेवा के सृजन का उपबंध करेगी जो समस्त विश्वविद्यालयों के लिये समान होगी तथा किसी ऐसी सेवा में भत्तों को तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करेगी।

परीक्षा नियंत्रक

18. (1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक, वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रकए अपने पद के कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्षए ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्यपरिषद अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह किसी विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस संबंध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा, जो तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को, राज्य सरकार के आदेश के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(7) यदि परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्त्तव्यों का पालन यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार संभालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये।

परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति

19. (1) धारा 18 के अधीन परीक्षा नियंत्रक, कार्यावधि के आधार पर तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जायेगा, जिसकी सेवायें स्तरीय पाई जाने पर अतिरिक्त दो वर्ष के लिए बढाया जा सकेगा।

(2) ऐसी नियुक्ति के लिए अर्हताएं और आयु सीमा वह होगी, जो परिनियमों में उपबंधित की जाए या राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।

(3) परीक्षा नियंत्रक और उप परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में ऐसे सदस्य होगें, जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(4) ऐसे चयन के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जो परिनियमों में विहित की जाये अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।

कार्यपरिषद के सदस्य - विश्वविद्यालय के अधिकारीगण

20. धारा 29 की उपधारा (1) के खण्ड (च) (छ) (ज) (झ) में उल्लिखित कार्य परिषद के सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी होगें।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीः-

21. कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त अधिकारी, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक तथा कार्य परिषद के सदस्यों से भिन्न विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होगें, जो इस अधिनियम में और/या परिनियमों और अध्यादेशों में उपबंधित हों।

ब- कृत्यकारी

संकायाध्यक्ष

22. (1) संकायाध्यक्ष अवैतनिक प्राधिकारी होगें, जिन्हें संकाय के आचार्यों में से वरिष्ठता के आधार परए चक्रानुक्रम में, नियुक्त किया जायेगा और वे दो वर्ष के लिए पद धारण करेंगे;

परन्तु चिकित्सा, अभियांत्रिकी, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय (स्व वित्त पोषित संस्थाओं सहित) के मामले में ऐसे महाविद्यालय का प्रधानाचार्य चिकित्सा, अभियांत्रिकी, आयुर्वेदिक या ललित संकाय, यथास्थिति, का पदेन संकायाध्यक्ष होगा;

परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक ऐसे महाविद्यालय/महाविद्यालयों हों, वहां प्रत्येक संकाय की अध्यक्षता चक्रानुक्रम में ऐसे महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मध्य होगी;

परन्तु यह भी कि यदि किसी संकाय में कोई प्राचार्य न हो तो उपाचार्य द्वारा संकायाध्यक्ष का पद धारण किया जायेगा और यदि कोई उपाचार्य न हो तो संकायाध्यक्ष का पद चक्रानुक्रम में, वरिष्ठता के आधार पर, संकाय के प्रवक्ताओं द्वारा धारण किया जायेगा।

(2) संकायाध्यक्ष संकाय परिषद का अध्यक्ष होगा, जिसकी (सदस्यों के कार्यकाल सहित), शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होगें, जो विहित किये जाएं।

(3) संकायाध्यक्ष निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हगाः-

(क) संकाय के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना,

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का समन्वयक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना, एवं

(ग) संकायाध्यक्ष की अन्य शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होगें जो विहित किए जाएं।

छात्रकल्याण अधिष्ठाता

23. (1) विश्वविद्यालय के परिसर (परिसरों) में एक छात्र कल्याण अधिष्ठाता होगा, जो अध्यापक के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त अधिष्ठाता के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) छात्र कल्याण अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय का एक अवैतनिक अधिकारी होगा और परिसर में आचार्यों/उपाचार्यों में से कुलपति द्वारा परिनियमों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा तथा उसे विश्वविद्यालय निधि से ऐसे मासिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा, जो सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये और जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकता हो।

(3) छात्र कल्याण अधिष्ठाता, विद्यार्थियों के सामान्य मार्ग दर्शन, सहायता, सामान्य कल्याण, और जब अपेक्षित होए तात्कालिक अथवा विशेष कार्यवाही से संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों में सम्पर्क बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) छात्र कल्याण अधिष्ठात, जब कभी वांछित हो, कुलपति को उसके पदीय कर्तव्यों से सम्बन्धित मामलों में सलाह देगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा और कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, जो उसे कार्य परिषद या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाए और/या विहित किए जाए।

(5) छात्र कल्याण अधिष्ठाता की सहायता हेतु अध्यापकों का एक दल होगा, जो सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता कहलाएंगे और अध्यापकों के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त अधिष्ठाता के कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे।

(6) सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता को विश्वविद्यालयों की निधियों से ऐसे मासिक मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए और उसे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

(7) छात्र कल्याण अधिष्ठाताए कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। वह परिषद निदेशक/कुलपति को रिपोर्ट करेगा।

नियंता

24. (1) विश्वविद्यालय के परिसर (परिसरों) में एक नियंता (प्रॉक्टर) होगा, जो, अध्यापकों के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, अपने कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(2) नियंता (प्रॉक्टर) परिसर के आचार्यों/उपाचार्यों में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। उसे विश्वविद्यालयों की निधियों से ऐसे मासिक मानदेय की ऐसी राशि का भुगतान किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए और उसे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

(3) नियंता (प्रॉक्टर), जब भी वांछित हो, विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन सम्बन्धी विषयों पर कुलपति को सलाह देगा तथा अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद या कुलपति द्वारा सौंपे जाएं और/या विहित किए जाएं।

(4) नियंता (प्रॉक्टर) की सहायता के लिए अध्यापकों का एक दल होगा, जो सहायक नियंता (प्रॉक्टर) कहलाएंगे, और जो नियंता (प्रॉक्टर) के अनुशासनिक नियत्रंण में होगें तथा उसे सीधे रिपोर्ट करेंगे।

(5) सहायक नियंताओं (प्रॉक्टरों) को विश्वविद्यालयों की निधियों से ऐसे मासिक मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए और उसे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

(6) नियंता (प्रॉक्टर), कुलपति के अनुशासनिक नियत्रंणाधीन होगा और वह परिसर निदेशक/कुलपति को रिपोर्ट करेगा।

अभिरक्षक (वार्डन)

25.(1) विश्वविद्यालय के परिसर (परिसरों) में एक मुख्य अभिरक्षक (वार्डन) होगा, जो अध्यापकों के रूप में सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, अपने कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(2) मुख्य अभिरक्षक (मुख्य वार्डन), परिसर के प्राचार्यों/उप प्राचार्यों और प्रवक्ताओं में से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और विश्वविद्यालय की निधि से एक हजार रूपये मासिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

(3) मुख्य अभिरक्षक (मुख्य वार्डन), परिसर के छात्रावासों में रहने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण तथा निवास सम्बन्धी व्यवस्था का पर्यवेक्षण करेगा।

(4) मुख्य अभिरक्षक, (मुख्य वार्डन), विहित मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के छात्रावासों के रख-रखाव का पर्यवेक्षण करेगा या करायेगा।

(5) मुख्य अभिरक्षक, ऐसे कृत्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, जो परिनियमों में विहित है और/या उसे कार्य परिषद या कुलपति द्वारा सौंपे जाए।

(6) मुख्य अभिरक्षक की सहायता के लिए अध्यापकों का एक दल होगा, जो अभिरक्षक (वार्डन) कहलाएंगे।

(7) अभिरक्षकों को विश्वविद्यालयों की निधि से पॉच सौ रूपये मासिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

(8) अभिरक्षक, मुख्य अभिरक्षक के अनुशासनिक नियत्रंण में होगा और वह मुख्य अभिरक्षक को रिपोर्ट करेगा।

(9) मुख्य अभिरक्षक, कुलपति के अनुशासनिक नियत्रंणाधीन होगा। वह परिसर निदेशक/कुलपति को रिपोर्ट करेगा।

परिसर निदेशक

26. (1) परिसर निदेशक, परिसर का प्रशासनिक प्रधान होगा और विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) परिसर निदेशक की ऐसी शक्तियाँ और कर्तव्य होगें, जो विहित किये गये है और/या कार्य परिषद अथवा कुलपति द्वारा अपेक्षित है।

(3) परिसर निदेशक, कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रणाधीन होगा और उसे सीधे रिपोर्ट करेगा।

विभागाध्यक्ष

27. (1) प्रत्येक विभाग में, आरम्भ में प्रथम दो वर्ष के लिए वरिष्ठतम अध्यापक उस विभाग का अध्यक्ष होगा। तत्पश्चात, इस पद पर अध्यापकों की वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में तब तक नियुक्ति की जाएगी, जब तक कि कोई अध्यापक, संयोगवश, जिसके कारण अभिलिखित करने होगें, अध्यक्ष बनने के लिए सक्षम न पाया जाये या उसने स्वेच्छा से ऐसा उत्तरदायित्व संभालने से इन्कार कर दिया हो। विभागाध्यक्ष, विभाग में परामर्श सेवा और उद्यमिता विकास सहित शिक्षण, अनुसंधान एवं विकास कार्य के आयोजन और संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) प्रत्येक परिसर में, जहां विभागाध्यक्ष तैनात नहीं किया गया है, वहां प्रभारी विभागाध्यक्ष होगा, जो आरम्भ में परिसर के उस विभाग में किया जायेगा।

(3) विभागाध्यक्ष, विभाग में परामर्श सेवा सहित शिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार कार्य के आयोजनार्थ, कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी ऐसी शक्तियां और कर्तव्य होगें, जो परिनियमों और/या अध्यादेशों में उपबंधित किए जाएं।

(4) प्रत्येक शैक्षणिक विभाग के लिए परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार**,** विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विभागीय समिति गठित की जायेगी और विभागाध्यक्षए समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विषयों के संबंध में परिसर के सम्बन्धित प्रभारी विभागाध्यक्ष और संकाय के अन्य सदस्यों को साप्ताहिक बैठकों द्वारा विष्वास में लेगा।

(5) परिनियमों और/या अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार, अध्ययन के भिन्न-भिन्न विषयों के सम्बन्ध में अध्ययन परिषद (बोर्ड ऑफ स्टडीज/ **Board of Studies**) होगी।

(6) विभागाध्यक्ष, शिक्षण के प्रत्येक विषय के लिए, अध्ययन परिषद और सम्बन्धित विषय के लिए अनुसंधान उपाधि समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

अध्याय- 5
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्रधिकारी

28. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी हगेः-

(क) कार्य परिषद,
(ख) सभा (कोर्ट),
(ग) शैक्षिक परिषद,
(घ) वित्त समिति,
(ड) संकाय परिषद,
(च) प्रवेश समिति,
(छ) परीक्षा समिति,
(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाएं।

कार्यपरिषद का गठन

29.(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित होगेः-

(क) कुलपति**,** जो उसका अध्यक्ष होगा;
(ख) प्रति कुलपति;
(ग) संकायाध्यक्षय विहित विधि से चक्रानुक्रम में;
(घ) उपरोक्त खण्ड-(ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न, एक आचार्य, एक उपाचार्य और विश्वविद्यालय का एक प्रवक्ता, जिन्हें विहित रीति से चयन किया हो;
(ड) तीन प्राचार्य (एक स्वः वित्त पोषित संस्थाओं से) और सम्बद्ध महाविद्यालयों से दो अध्यापक, जिन्हें विहित रीति से चयन किया जाये;
(च) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रख्यात शिक्षा विद;
(छ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश;
(ज) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निगमित क्षेत्र से एक व्यक्ति, जिसने राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो;
(झ) कोर्ट (विश्वविद्यालय की सभा) द्वारा निर्वाचित चार व्यक्ति।

(2) (एक) उपधारा (1) के खण्ड-(ग), (घ) तथा खण्ड (ङ) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा;
(दो) उपधारा (1) के खण्ड-(च) (छ) (ज) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
(तीन) उपधारा (1) के खण्ड (झ) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (च), (छ), (ज) तथा (झ) के अधीन कोई भी सदस्य निरन्तर दो कार्यकालों से अधिक के लिए कार्यपरिषद का सदस्य नहीं हो सकेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद के लिए नाम निर्दिष्ट किए जाने और उसका सदस्य हने के लिए अनर्ह है जाएगा, यदि वह या उसका कोई सम्बन्धी विश्वविद्यालय और इसके किसी सम्बद्ध महाविद्यालय एवं संस्थान अथवा स्ववित्त पोषित संस्थान में या इनके किसी कार्य के संबंध में कोई वेतन या पारश्रमिक प्राप्त करता है अथवा विश्वविद्यालय

तथा इसके किसी सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थानों, स्ववित्त पोषित संस्थानों अथवा सहायतितए के लिए या इनके किसी कार्य के निष्पादन हेतु सामग्री की आपूर्ति हेतु कोई संविदा करता है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के अंतर्गत "सम्बन्धी" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित सम्बन्धी अभिप्रेत है, जिसमें पत्नी या पति का भाई, पत्नी या पति का पिता, पत्नी या पति की बहन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री का समावेश है।

कार्य परिषद की शक्तियां एवं कर्तव्य

30.(1) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन रहते हुये उसकी निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थातः-

(क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना एवं उन पर नियंत्रण रखना;

(ख) राज्य सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की ओर से कोई चल या अचल सम्पत्ति अर्जन करना या अन्तरित करना;

(ग) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित अथवा निरसित करनाय;

(घ) विशिष्ट परियोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार में रखी किसी निधि का प्रशासन करना;

(ड) विश्वविद्यालय के आय-व्ययक पर विचार करना और संशोधन सहित या बिना संशोधन के उसका अनुमोदन करना;

(च) शिक्षा परिषद के विनिश्चयों का संशोधन या बिना संशोधनों के कार्यान्वयन करना;

(छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों और कर्मचारियों के कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु अस्थायी, आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए, दिशा निर्देश जारी करना;

(ज) विभिन्न निकायों के वाह्य सदस्यों और चयन समितियों के विशेषज्ञों के लिए परिलब्धियां और बैठक प्रभार नियत करना;

(झ) धारा 50 के उपबंधों के अधीन, किसी महाविद्यालय या स्ववित्त पोषित संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार या मान्यता प्रदान करना या पूर्व से मान्यता प्राप्त सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार में वृद्धि अथवा ऐसे विशेषाधिकार को सीमित करना या प्रत्याहरण करना, जिसके अतंर्गत इन परिनियमों के उपबंधों के अनुसार सम्बद्धता का प्रत्याहरण भी सम्मिलित है;

(ञ) सम्बद्ध महाविद्यालयों, स्ववित्त पोषित संस्थाओं, सहयुक्त अथवा संघटक महाविद्यालयों और छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण की व्यवस्था करना और निर्देश देना;

(ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के स्वरूप और उपयोग करने सम्बन्धी निर्देश देना;

(ठ) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार, विश्वविद्यालय के अध्यापकों, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन एवं कार्यान्वयन करना;

(ड) विश्वविद्यालय के वित्तए लेखे, निवेशों, सम्पत्ति, कारोबार और समस्त अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों के प्रबन्धन और विनियमन के सिद्वांत निर्धारित करना और इस प्रयोजन हेतु ऐसे अभिकर्ताओं (एजेन्टों) की नियुक्ति करना, जैसा वह उचित समझे;

(ढ) वित्त समिति या वित्त अधिकारी या वित्त परामर्शी के अनुमोदन के पश्चात विश्वविद्यालय की बचतों को ऐसे स्टाक, निधियोंए शेयर या प्रतिभूतियों में निवेश करना या जिन स्थानों में विश्वविद्यालय स्थित हैं, वहां राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन अचल सम्पत्ति का क्रय करना, जैसा वह समय-समय पर उचित समझे;

(ण) विश्वविद्यालय के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण तथा अन्य साधन उपलब्ध कराना, जो उसके कार्य संचालन के लिए आवश्यक है;

(त) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उनका कार्यान्वयन तथा निरसन करना;

(थ) शिक्षकों के पदों पर धारणाधिकार दिए जाने हेतु उनके द्वारा मांगे गये असाधारण अवकाश पर विचार और स्वीकृत करना;

(द) मानद उपाधि संस्थित करने के प्रस्तावों को अनुमोदित करना;

(ध) परिनियम व अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति विशेष, पदक या अन्य पुरस्कार संस्थित करना;

(न) विश्वविद्यालय एवं उसके संस्थान, संघटक महाविद्यालयों, सम्बद्ध महाविद्यालयों, संयुक्त महाविद्यालयों, स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्त संस्थानों का, इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार, विनियमन और अन्य मामलों का निर्धारण करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्यपरिषद, विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति को (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम के मासानुमास किराये पर देने के) बंधक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा किसी रूप में हस्तांतरण नहीं करेगी, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई अनुदान प्राप्त होने की वर्ष के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके संबंध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी भी संस्थान अथवा संघटक महाविद्यालय में सृजित नही किया जायेगा;

परन्तु यह कि कार्यपरिषद, कुलपति की संस्तुति से, विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित विभागों तथा उद्यमों में शिक्षकों के अन्य पदों को सृजित कर सकेगी तथा ऐसे पदों पर नियुक्ति प्रदान करने या जिन पदों की संविदा व सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत होगी;

परन्तु यह कि कार्यपरिषद द्वारा इस विषय में लिए गये किसी निर्णय की सूचना तत्काल राज्य सरकार को प्रेशित की जायेगी, जिसे ऐसा आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा, यदि राज्य सरकार यह समझे कि ऐसे निर्णय से वित्तीय व अन्य शर्तें उस पर अधिरोपित हो सकती है, जिनको वह स्वीकार करने में सहमत नहीं है;

(4) कार्यपरिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय में निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक के पदों इस दृष्टि से सृजन कर सकती है, जिससे ऐसे शिक्षक की जो तत्समय देश अथवा विदेश में किसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक दायित्व के पद पर आसीन हो मूल पद पर धारणाधिकार एवं वरिष्ठता बनी रहे एवं वह अन्यत्र नियुक्ति की अवधि में अपने वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त कर सके किन्तु ऐसी अवधि की अंशदायी भविष्यनिधि लिये गये संस्थान द्वारा उसके पैत्रिक विभाग को प्रदान दी जायेगी ताकि वह सेवानिवृत्ति लाभ परिनियमों के अनुसार, यदि कोई हो प्राप्त कर सके।

परन्तु यह कि ऐसी नियुक्ति की अवधि में ऐसे शिक्षक को मूल विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नही होगा।

(5) विश्वविद्यालय या किसी संस्था या सहयुक्त, संघटक अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा स्ववित्त पोषित संस्थान के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन वही होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय;

परन्तु यह कि स्ववित्त पोषित संस्थान, यदि चाहे, तो विहित वेतन से अधिक वेतन और भत्तों का संदाय कर सकते है।

(6) कार्य परिषद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्तक अथवा अनावर्तक व्यय की सीमा से अधिक व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(7) शैक्षिक परिषद और सम्बद्ध संकायों के बोर्डो के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य शिक्षकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। निर्णयों का क्रियान्वयन केवल राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा।

(8) कार्य परिषद सभा (कोर्ट) के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक रूप से विचार करेगी, और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे और और सभा (कोर्ट) को यथास्थित की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की जानकारी देगी।

(9) कार्य परिषदए परिनियमों में अधिकथित किन्ही शर्तों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय के किसी कृत्यकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

बैठकों की बारम्बारता, सूचना अवधि तथा गणपूर्ति

31.(1) सामान्यतया कार्यपरिषद की बैठक न्यूनतम प्रत्येक दो माह में एक बार होगी तथा कुलसचिव द्वारा प्रत्येक बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व बैठक की सूचना एजेंडा व संलग्नकों सहित दी जायेगी, जब तक अन्यथा प्राविधानित न हो;

परन्तु यह कि यदि कुलपति के विचार से कोई अतिमहत्वपूर्ण विषय विचार के लिए उत्पन्न हो गया है जिसके कारण कार्यपरिषद की आपात बैठक बुलाना आवश्यक हो, तो वह केवल तीन दिन की अल्प सूचना पर बैठक बुला सकता है। यह व्यवस्था कतिपय मामलों में अपनायी जायेगी एवं बैठक की सूचना के साथ ही सदस्यों में आपात स्थिति के कारणए एवं सूचना के साथ एजेंडा वितरित कर दिया जायेगा।

(2) गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की कम से कम आधी संख्या आवश्यक होगी तथा उस स्थिति में बैठक तथा उसमें लिये गये निर्णय अविधिमान्य न होंगे।

सभा (कोर्ट)

32.(1) सभा (कोर्ट) निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी-

वर्ग 1-पदेन सदस्य

(एक) कुलाधिपति, जो कि सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अथवा कलपति को इसके लिए अधिकृत करेंगे;

(दो) कुलपतिए जो कुलाधिपति द्वारा अधिकृत किये जाने पर अध्यक्षता करेगा;

(तीन) प्रतिकुलपति;

(चार) कार्य परिषद के सदस्य ;

(पांच) कुलसचिव;

(छः) वित्त अधिकारी;

वर्ग 2- शिक्षकों आदि के प्रतिनिधि,

(सात) विश्वविद्यालय परिसर के अध्यापन विभागों के सभी विभागाध्यक्ष;

(आठ) चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग संकायों के अध्यक्ष, यदि वे कार्यकारी परिषद के सदस्य न हों;

(नौ) विश्वविद्यालय परिसर तथा संघटक महाविद्यालयों तथा संस्थानों के छात्रावासों के वार्डनों के दो प्रतिनिधि, जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चक्रीय क्रम से चुने जायेंगे;

(दस) राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य ;

(ग्यारह) निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चुने गये पन्द्रह शिक्षक;

(बारह) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों और स्ववित्त पोषित संस्थानों के प्रबन्धन से संबंधित दो प्रतिनिधि, जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चक्रीय क्रम से चुने जायेंगे;

वर्ग-3 पंजीकृत स्नातक

(तेरह) पंजीकृत स्नातकों में से चुने गये पंद्रह ऐसे प्रतिनिधि, जो पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्धारित योग्यता से युक्त हों, तथा जो विश्वविद्यालय, या किसी संस्था अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हो अथवा सहयुक्त सम्बद्ध महाविद्यालय, स्ववित्त पोषित संस्थान अथवा छात्रावास प्रबन्धन से सम्बन्धित न हो;

वर्ग-4 छात्रों का प्रतिनिधित्व

(चौदह) प्रत्येक विभाग का एक छात्र, जिसने किसी विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती डिग्री परीक्षा में अपने विभाग में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हों तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा में अथवा विधिए शिक्षा, चिकित्सा या इंजीनियरिंग का छात्र हो,, (सम्बद्ध, सहयुक्त महाविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित संस्थानों सहित) और

वर्ग-5 राज्य विधान सभा के प्रतिनिधि

(पन्द्रह) विधान सभा द्वारा चुने गये विधान सभा के दो सदस्य ;

वर्ग-6 राज्य में उद्योगों के प्रतिनिधि

(सोलह) कुलाधिपति द्वारा नांमाकित उद्योगों के चार प्रतिनिधि;

वर्ग-7 कृत्यकारियों आदि के प्रतिनिधि

(सत्रह) परीक्षा नियंत्रक।

(2) उपधारा (1) में वर्णित सिवाय वर्ग (1) तथा वर्ग (3) के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी तथा वर्ग (4) की सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

सभा (कोर्ट) की शक्तियॉ तथा कर्तव्य

33. सभा एक सलाहकार निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियॉ और कृत्य होंगे; अर्थातः-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा एवं विकास के लिए उपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिर्पोट, वार्षिक लेखाओं तथा उनकी सम्परीक्षा पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) राज्य सरकार को ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में सलाह देना, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किए जाएं;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा राज्य सरकार द्वारा सौपें जाएं।

सभा का अधिवेशन

34.(1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख को होगा जो कुलाधिपति की सुविधा के अनुसार कुलपति द्वारा नियत की जानी है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(2) कुलपतिए उचित समझें तब तथा सभा के कुल सदस्यों के कम से कम एक चौथाई सदस्यों की लिखित व हस्ताक्षरित मॉग पर, सभा की विशेष बैठक बुलायेगा।

शैक्षिक परिषद

35.(1) शैक्षिक परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा निकाय होगी तथा अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुये-

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा, और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य जिसमें परामर्श सलाह तथा उद्यमिता विकास अध्ययन आदि से सम्बन्धित सभी प्रकार के नियंत्रण तथा नियमन के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) शिक्षा सम्बन्धी सभी विषयों परए जिनमे अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं एकार्यपरिषद को सलाह दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियॉ तथा कर्तव्य होंगे, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हो या उस पर अधिरोपित किया जायें।

(2) शैक्षिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात;

(एक) कुलपति, जो अध्यक्ष तथा संयोजक होगा;

(दो) सभी संकायों के अध्यक्ष, यदि कोई हो;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और यदि विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो तो सम्बद्ध संकाय में उक्त विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्बद्ध महाविद्यालयों या स्ववित्त पोषित संस्थान से ज्येष्ठतम शिक्षक;

(चार) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हो;

(पांच) परिसर (परिसरों) के निदेशक तथा इस अधिनियम की धारा 57 के अधीन स्थापित संस्थान का निदेशक, यदि कोई हो;

(छः) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य, जो विहित रीति से चक्रानुक्रम से चुने जायेंगे;

(सात) विहित रीति से चुने गये दस शिक्षक;

(आठ) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष;

(नौ) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात तीन व्यक्ति, जो विहित रीति से सहयोजित किये जायेंगे,

(दस) पदेन परीक्षा नियंत्रक।

(3) पदेन सदस्यों के भिन्न सदस्यों की पदावधि वही होगी, जो विहित की जाय।

(4) शिक्षा परिषद की बैठक प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम एक बार होगी।

(5) शैक्षिक परिसर के अन्य कृत्य ऐसे होगें, जैसा विहित किया जाय।

वित्त समिति

36.(1) वित्त समिति निम्नलिखित होंगे-

(क) कुलपति;

(ख) प्रतिकुलपति;

(ग) राज्य सरकार में उच्च शिक्षा विभाग का सचिव अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो अपर सचिव से न्यून पद का न हो;

(घ) राज्य सरकार मे वित्त विभाग का सचिव अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो अपर सचिव से न्यून पद का न हो;

(ड.) कुलसचिव;

(च) कार्यपरिषद का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति, जिस वित्तीय मामलों का गहन अनुभव हो। निर्वाचित किया जाने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय या किसी या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, स्ववित्त पोषित संस्थान या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय की सेवा करने वाला व्यक्ति न हो;

(छ) राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो वित्तीय एवं या शैक्षणिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो;

(ज) परीक्षा नियंत्रक;

(झ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) वित्त समिति, कार्यपरिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कुल आर्वतक तथा अनार्वतक व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारणों से, वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार ऐसी नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार ऐसी नियत सीमा कार्यपरिषद पर आवद्धकर होगी;

परन्तु यह कि इस उपधारा के प्राविधान धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन कुलपति को प्राप्त शक्तियों पर लागू नही होंगे एवं किये गये अतिरिक्त खर्चो की पूर्तिए बजट की अन्य मद में बचत कर, की जायेगी।

(3) वित्त समिति की ऐसे अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जाये।

(4) जब तक वित्तीय प्रभाव वाले उस प्रस्ताव को, वित्त समिति द्वारा संस्तुत न कर दिया जाये, कार्यपरिषद उस पर निर्णय नहीं करेगी और यदि कार्यपरिषद वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत हो तोए उस प्रस्ताव को असहमति के कारण सहित वित्त समिति को वापस लौटाएगी एवं यदि कार्यपरिषद, पुनः वित्त समिति की संस्तुति से असहमत हों तो प्रकरण निर्णय हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

संकाय

37. (1)विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगेए जैसे विहित किए जाएं।

(2) प्रत्येक संकाय में शिक्षा के ऐसे विषयों के ऐसे शिक्षण विभाग होगेंए जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(3) प्रत्येक संकाय में एक परिषद होगीए जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियां और कर्तव्य वही होगेंए जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

प्रवेश समिति

38.(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन परिनियमों में यथा उपबन्धित रूप में होगा।

(2) प्रवेश समिति को उतनी उप समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जितनी वह उचित समझे।

(3) शैक्षिक परिषद के अधीक्षणाधीन तथा उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्वान्तों या प्रतिमानों को अधिकथित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थानए स्वः वित्त पोषित संस्थाओं, परिसरों या संघटक महाविद्यालय में किसी पाठयक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या उप समिति को भी नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति, राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संघटक महाविद्यालयों में और सम्बद्ध, सहयुक्त महाविद्यालयों संस्थाओं तथा स्वः वित्त पोषित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए मापदण्ड या रीति के सम्बन्ध में (छात्रों की संख्या सहित जिन्हें प्रवेश दिया जाना है) कोई निदेश दे सकेगी और ऐसे निदेश, ऐसे महाविद्यालयों एवं संस्थाओं पर आवद्धकर होगें।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के हते हुए भी-

(क) विश्वविद्यालय परिसरों, संस्थाओं, संघटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, स्ववित्त पोषित संस्थान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछडे वर्गो, महिलाओं तथा इस राज्य के अन्य वर्गो के विद्यार्थियों के प्रवेश देने के लिए स्थान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे आदेशों द्वारा आरक्षित या विनियमित किए जा सकते हैं, जो इस निमित्त किये जायें ;

परन्तु इस खण्ड के अधीन कुल आरक्षित स्थान, किसी पाठ्यक्रम की कुल सीटों की संख्या के पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होगें।

(ख) शिक्षा और आयुर्वेदिक तथा चिकित्सा की यूनानी पद्धतियों की उपाधि पाठ्यक्रमों में तथा चिकित्सा और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश, (जिसमें प्रवेश दिये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) खण्ड (क) के अधीन और ऐसे आदेशों द्वारा विनियमित होगें, जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करें;

परन्तु इस खण्ड के अधीन प्रवेश विनियमित करने से सम्बन्धित कोई आदेश, अल्पसंख्यकों की अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन सम्बन्धी मामलों में उनके अधिकारों के असंगत नहीं होगें।

(ग) खण्ड (क) के अधीन आदेश पारित करते समय राज्य सरकार निदेश दे सकेगी है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के उल्लघंन करने या उसके प्रयोजनों को निष्फल करने के आशय से जानबूझकर कार्य करता है, तो उसे तीन माह से अनधिक अवधि के लिए कारावास अथवा पांच हजार रूपयों से अनधिक धनराशि के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी विश्वविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और ऐसा उल्लघन करके दिये गये प्रवेश का रद्ध करने की कुलपति की शक्ति होगी।

परीक्षा समिति

39.(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जो परिनियमों में यथाउपबन्धित रूप में गठित की जायेगी।

(2) धारा 58 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय समिति, साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अंतर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात;

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उसके बारे में शिक्षा परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए शैक्षिक परिषद को संस्तुतियां करना;

(घ) अध्ययन परिषदों द्वारा प्रस्थापित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने और उन पर विनिश्चित करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के हते हुए भी, परीक्षा समिति या यथास्थिति, उप समिति या किसी व्यक्ति को, जिसे उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त परीक्षा समिति ने अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन किया हो, किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की आगे की परीक्षाओं से वर्जित करने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग करने का दोषी हैं।

अन्य प्राधिकारी

40. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य वही होगें, जो विहित किए जाएं।

अध्याय-6
अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

41. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय के शिक्षक और कृत्यकारी और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के शिक्षक, राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय से भिन्न, यथास्थिति कार्य परिषद अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर एततपश्चात उपबन्धित रीति से नियुक्ति किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक, जब भी कभी आवश्यक हो, की जाएंगी।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन की गयी नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगी, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढाया जा सकेगा;

परन्तु परिवीक्षा अवधि में या उसकी समाप्ति पर, सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जबतक कि-

(क) विश्वविद्यालय के शिक्षक की दशा में कुलपति एवं सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि शिक्षक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टो पर विचारोपरान्त कार्य परिषद के आदेश न दे दे, के सिवाय;

(ख) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में, प्रबन्धतंत्र आदेश न दे दे, और

(ग) सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अन्य शिक्षक की दशा में, प्राचार्य और उन विषयों ज्येष्ठतम शिक्षक (जब तक कि ऐसा शिक्षक उस विषय का ज्येष्ठतम शिक्षक न हो) की रिपोर्ट पर भी विचारोपरान्त प्रबंधन समिति आदेश न दे दे,

परन्तु यह कि सम्बन्धित अध्यापक को उन कारणों के सम्बन्ध में, जिनके आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बगैर सेवा समाप्ति का आदेश पारित नहीं किया जायेगा;

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले यथास्थिति, नोटिस दिया जाता है, तो खण्ड (क) के अधीन कार्य परिषद या यथास्थिति, खण्ड (ग) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रबन्ध समिति का अंतिम आदेश होने तक या धारा 51 के अधीन कुलपति का अनुमोदन प्राप्त होने तक यह समझा जाएगा कि परिवीक्षा अवधि बढा दी गयी।

(3) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक की दशा में, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट दो विशेषज्ञों के परामर्श से कुलपति, और किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के किसी शिक्षक की दशा में कुलपति द्वारा इस निमित नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ और सरकार द्वारा इस निमित नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से प्रबन्ध तंत्र किसी शिक्षक को अवकाश स्वीकार किए जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किए बिना दस माह से अनधिक की कालावधि के लिए स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी, किन्तु अन्य रिक्ति या पद, जिसकों छः माह से अधिक की कालावधि के लिये होना संभाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी।

(4) (क) विश्वविद्यालय के शिक्षक (किसी संस्थान के निदेशक और परिसर निदेशक से भिन्न) की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगेः-

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(दो) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष,

(तीन) किसी आचार्य या उपाचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ, जो पांच विशेषज्ञों की नामिका से अधिमानता के क्रम में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे।

(चार) केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत किसी योजना के अधीन क्रमोनत संघटक चिकित्सा महाविद्यालय के किसी विभाग के शिक्षकों की नियुक्ति की दशा में, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का एक-एक नाम निर्देशती,

(पॉच) किसी संस्थान या संघटक महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति की दशा में, यथा स्थिति संस्थान का निदेशक अथवा परिसर निदेशक,

परन्तु यह कि यदि विभागाध्यक्ष स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी **है** अथवा सम्बन्धित पद उसके मौलिक पद से उच्चतर स्तर का **है** तो वह चयन समिति में नहीं बैठेगा और उस स्थिति में उस विषय का ज्येष्ठता आचार्य और यदि कोई आचार्य नही है तो उसके स्थान पर संकाय का अध्यक्ष बैठेगा,

परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार का समाधान **है** जाएं कि मामले की विशेष परिस्थितियों में चयन समिति उपरोक्त परन्तुक के अनुसार गठित नही की जा सकती है तो, वह चयन समिति का गठन ऐसी रीति से करने का निदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।

(ख) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय या स्वःवित्त पोषित संस्थान (राज्य सरकार द्वारा अन्य रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय से भिन्न) के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगेः-

(एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्ध का एक सदस्य, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(दो) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ,

(तीन) प्रबन्धन द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धन का एक सदस्य, और;

(चार) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ, और एक नाम निर्देशती,

(ग) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय या स्वःवित्त पोषित संस्थान (राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय से भिन्न) के अन्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) प्रबन्ध तंत्र का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्ध का एक सदस्य, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(दो) महाविद्यालय का प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य और प्राचार्य द्वारा नाम निर्दिष्ट महाविद्यालय का एक अन्य शिक्षक,

(तीन) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ,

(चार) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ और एक नाम निर्देशती;

(5) (क) प्रत्येक पाठय विषय के लिये राज्य सरकार द्वारा आवश्यक परामर्श, यदि आवश्यक समझा जाय, के पश्चात उत्तराखण्ड राज्य या उसके बाहर से पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय के दस या उससे अधिक विशेषज्ञों की एक नामिका तैयार की जायेगी।

(ख) प्रत्येक विषय की परिषद प्रत्येक पाठय विषय के लिए पंद्रह या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक स्थायी पैनल बनायेगी। उपधारा (4) के अधीन कुलपति इस पैनल से (विशेषज्ञों) की नियुक्त करेगा अथवा समय-समय पर जैसा अपेक्षित हो, अतिरिक्त नाम जोड सकेगा।

(ग) खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट नामिका का, जब कभी भी अपेक्षित हो, पुनर्विलोकन किया जायेगा।

स्पष्टीकरण (एक)-इस उपधारा के प्रायोजनार्थ, किसी विषय की शाखा को, जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि या उसके भाग एक या दो के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित किया गया है, एक पृथक पाठ्यक्रम समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण (दो)-यदि चयिनत किए जाने वाले शिक्षक का पद एक से अधिक पाठ्यक्रमों में सामान्य ह तो, विशेषज्ञ ऐसे पाठ्यक्रमों के किसी विषय से सम्बन्धित हो सकता है।

(घ) राज्य सरकार अथवा कुलपति, यथास्थिति, विशेष क्रम में उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित से अधिक विशेषज्ञों के नाम, चयन समिति में उसके नामितियों के रूप में कार्य करने के लिए सूचित कर सकती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्तिए जिसका नाम विशेष क्रम में उपर आता है, चयन समिति की बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है, तो जिस व्यक्ति का नाम विशेष क्रम में उसके ठीक नीचे आता है, उससे समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी संस्तुति को तब तक वैध नहीं माना जायेगा, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन के लिए सहमत नहीं हो जाता। चयन समिति प्रत्येक पद के लिए एक या उससे अधिक किन्तु तीन से अनाधिक नामों की संस्तुति करने के लिए स्वतंत्र होगी और वह, यदि ऐसा हो तो-यह भी संस्तुति कर सकती है "कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया "

(7) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी,

परन्तु किसी आचार्य अथवा उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में न्यूनतम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(8) (क) विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक की नियुक्ति की दशा में, यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति से सहमत न हो तो वह मामले को ऐसी असहमति के कारणों सहित सरकार को संदर्भित करेगी तथा और सरकार की संस्तुतियों पर आधारित कुलाधिपति का विनिश्चित अंतिम होगा;

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद ऐसी समिति की बैठक के दिनांक से चार माह की अवधि के अंदर चयन समिति की संस्तुति पर निर्णय नहीं लेती है तो उस सयम भी मामला राज्य सरकार के माध्यम से कुलाधिपति को संदर्भित किया जायेगा और उसका विनिश्चित अंतिम होगा।

(ख) यदि कार्य परिषद का खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि में निर्णय लेने में असफल रहना कार्य परिषद की किसी त्रुटि के फलस्वरूप न **है** तो सरकारए कार्य परिषद से ऐसी अवधि में निर्णय लेने की अपेक्षा करेंगी, जो कुलाधिपति द्वारा स्वीकार की जाए। सरकार इस प्रयोजन हेतु कुलपति को कार्य परिषद की बैठक बुलाने के लिए आदेश भी दे सकती हैय

(एक) परन्तु यह कि- यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति से सहमत न हो तो वह मामले को ऐसी असहमति के कारणों सहित सरकार को संदर्भित करेगी तथा और उसका विनिश्चित अंतिम होगा;

(दो) यदि कार्य परिषद, सरकार द्वारा स्वीकृत समयावधि में कोई विनिश्चित नहीं कर लेती है तो कुलाधिपति, सरकार की संस्तुति के आधार पर, इस विषय में निर्णय लेगा और उसका विनिश्चित अंतिम होगा

(ग) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति की दशा में यदि प्रबन्ध समिति, चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति से सहमत नहीं होती है तो प्रबन्धन ऐसी असहमति के कारणों सहित, मामले को कुलपति को संदर्भित करेंगा, जिसका विनिश्चित अंतिम होगा।

(9) विश्वविद्यालय के शिक्षकों और ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यो तथा अन्य शिक्षकों को नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समितियों के विचार विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे प्राचार्यो तथा शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(10) उत्तराखण्ड में पर्याप्त परिचालन वाले कम से कम दो समाचार पत्रों के दो अंकों और कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के दो अंकों में रिक्ति विज्ञाप्ति किए बिना इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन नहीं किया जाएगा।

(11) (क) जब तक कुलपति का पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया जाए, तब तक सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय या स्वः वित्त पोषित संस्थान (राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय से भिन्न) के प्रबन्धतंत्र द्वारा, चयन समिति से संस्तुति शिक्षक को नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रबन्ध समिति, चयन समिति की बैठक के पश्चात, यथाशीघ्र, अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ समिति की संस्तुतियां कुलपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी यदि आवश्यक हो तो कुलपति अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के पद पर चयन से सम्बन्धित और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा।

(ग) यदि कुलपति का यह समाधान हो जाए कि चयन हेतु संस्तुत अभ्यर्थी के पास विहित न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव नहीं है या शिक्षक अध्यापक के चयन के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है तो वह अपनी असहमति से प्रबन्धन को सूचित करेगा,

परन्तु यह कि यदि खण्ड (ग) में संदर्भित अभिलेख पारित की तिथि से एक माह की अवधि में कुलपति अपनी असहमति सूचित नहीं करता है अथवा उसके सम्बन्ध में प्रबन्धन को कोई सूचना नहीं देता हैए तो यह माना जायेगा कि उसने सहमति दे दी है।

(12) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कार्यपरिषद अथवा कुलपति के पूर्वानुमोदन से प्रबन्धतंत्र किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी कोए जो पद के लिए विहित अर्हताएं रखता हो, शिक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति कर सकता है।

(13) किसी मामले में कुलपति या कार्य परिषद या प्रबंधतत्रं के विनिश्चित से किसी शिकायत अथवा असहमति होते हुए भी, सरकार को अपील की जा सकेगी और ऐसे सभी मामलों में सरकार का विनिश्चित अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति

42.(1) शिक्षकों की वैयक्तिक पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रावधान वही होगे, जो तत्समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपायाचार्य के पद के लिए अधिकथित किये गये **है**।

(2) आचार्य के पद पर पदोन्नति या उपाचार्य के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित का समावेश है:- सम्बन्धित अध्यापक के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए कम से कम तीन छात्रों को पी0एच0डी0/डी0फिल की उपाधि दिलाना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित उपबंधों के अतिरिक्त प्रतिष्ठित शैक्षिक पत्रिका में तीन लेख/शोध पत्रों का प्रकाशन।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति -संविदा

43.(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक सिवाय ऐसी लिखित संविदा के, जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुरूप होगी।

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जायेंगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित शिक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) इस अधिनियम के आरम्भ होने **के** पूर्व नियोजित शिक्षक की दशा में, इस प्रकार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाये, इस विस्तार तक जहाँ तक वे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से असंगत हों, उक्त उपबन्धों द्वारा उपान्तरित समझी जायेगी।

(4) किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी विश्वविद्यालय परिसर/संस्थानों, सम्बद्ध, सहयुक्त या स्ववित्त पोषित संस्थानों के शिक्षकों, निजी शिक्षण (प्राईवेट इन्स्टीटूयूशन) का और देश के किसी नागरिक को प्राप्त अधिकारों से ज्यादा, सक्रिय राजनैतिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। तकनीकी/चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षकों का, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों व निबन्धनों के अधीन रहते हुये, जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, निजी परामर्श सेवा/व्यवसाय (प्राईवेट प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

44. पेंशन, भविष्य निधि आदि

विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अपने अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विहित की जाए, ऐसी पेंशन बीमा या भविष्य निधि का गठन करेगा, जिसे वह उचित समझे, जिसके अन्तर्गत एक ऐसी निधि भी है जिससे ऐसे शिक्षकों या यथास्थिति, उनके उत्तराधिकारियों को, किसी परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक (इनविजिलेटर) के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में निर्योगए आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन और/या उपदान (ग्रेज्यूटी) दिया जायेगा।

45. शिक्षकों के अतिरिक्त पारिश्रमकीय काम की अनुमन्य सीमा

(1) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय या स्ववित्त पोषित संस्थानों के किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किये गय किन्ही कर्तव्यों के लिये पारिश्रमिक के संदाय सम्बन्धी शर्तें वही होगी, जो विहित की जाए। किसी भी प्रकार से अधिकतम पारिश्रमिक रू0 बीस हजार से अनाधिक अथवा एक शैक्षणिक सत्र में राज्य सरकार द्वारा तत्समय निर्धारित होगा।

(2) विश्वविद्यालय परिसर या सम्बद्व या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई शिक्षक अध्यापन सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-पारिश्रमकीय पद शब्दों के अन्तर्गत छात्रवास के अधीक्षक (वार्डन)ए प्रांक्टर छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का पद एवं नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय समाज सेवा स्कीम तथा विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय या कोई अन्य पद भी है, जिसे परिनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

शिक्षकों की नियुक्ति आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य राष्ट्रीय वृत्तिक निकायों द्वारा निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमों का अंगीकरण एवं उपयुक्तिकरण

46. (1) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवक्ताओ, उपाचार्यों तथा आचार्यों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं, जीवनवृत्ति अभिवृद्धि क्रम में, प्रगति हेतु सम्बन्धित या विनियमों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अद्यतन बनाने, अपनाने और उपान्तरण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों पर सरकार विचार करेगी जैसा इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के परिनियमों में सम्मिलित किया गया है।

(2) राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बना, रखने की दृष्टि से राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, राष्ट्रीय व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालय अथवा इसके सम्बद्ध, सहयुक्त और स्वः वित्त पोषित संस्थानों में आरम्भ किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित न्यूनतम मानकों पर समय-समय पर विचार करेगी। इस धारा की उपधारा (1) और (2) के अधीन इन राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा विहित न्यूनतम मानकों का उसी रूप में अनुपालन करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। राज्य सरकार समय-समय पर इन राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों में वृद्वि/संशोधन/कमी कर सकेगी।

चयन तथा नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की रीति

47. (1) शिक्षण व्यवसाय में उच्च शिक्षा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के चयन और नियुक्ति में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए, विश्वविद्यालय परिनियमों में संगत रीति और प्रक्रिया संस्तुत और विहित करेगा।

(2) चयन की रीति और प्रक्रियाएं निम्नलिखित त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया उपबन्धित करेगीः-

(क) स्क्रिीनिंग समिति, जिसमें सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष, आचार्य के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त विभाग के समस्त आचार्य, यदि कोई हो, आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्यपिछडे वर्ग तथा महिला,) प्रत्येक में से एक तीन संकाय सदस्य, 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थियों की छानबीन करेगी और लघुसूची (सोर्टलिस्टि) बनायी। विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष (इनमे जो भी वरिष्ठ हो) स्क्रिरीनिंग समिति का अध्यक्ष होगा।

(ख) दूसरी अवस्था में, स्क्रिरीनिंग समिति द्वारा व्याख्यान/विचार-विमर्श (उनके पसंद के विषय) (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) सम्बन्धित विषय पर लिखित परीक्षा के आधार पर मूल्याकंन किया जायेगा। 1:5 के अनुपात में अभियर्थियों की लघुसूची तैयार की जायेगी।

(ग) इस अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा लघुसूची के अभियर्थियों का साक्षात्कार किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वर्गीकरण

48. (1) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की कक्षा, परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी ओर सामान्यतया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली के अनुसार होगी।

(2) एक संवर्ग के शिक्षकों के बीच विहित स्तर तक समानता रहेगी, चाहे वे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये हो। यह सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा,

परन्तु यह कि उच्चतर संवर्ग (संवर्गो) में प्रोन्नत शिक्षक के कर्तव्य वही होगे, जो उस पद (संवर्ग) जिसके लिए भर्ती किया गया था, के लिए विहित थे।

(3) शिक्षकों की अधिवर्षता आयु समय-समय पर सरकार के आदेशों द्वारा विहित अथवा विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(4) शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य शिक्षण कार्य होगा और शिक्षण के अतिरिक्त अनुसंधान का संचालन तथा विस्तार कार्यए जिसमें परामर्श सेवा भी शामिल हैए उसके कर्तव्यों का भाग होगा।

(5) प्रत्येक शिक्षक उसके संवर्ग के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट न्यूनतम कार्यभार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा और वह अपने आवंटित कार्यभार को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकेगा।

विश्वविद्यालयए सम्बद्ध, सहयुक्त महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित संस्था के शिक्षकों की सेवा की शर्तें

49. (1) विश्वविद्यालय के अध्यापक की निम्नलिखित सेवाशर्तें होगी:-

(क) धारा 41 के अधीन नियुक्ति के मामले के सिवाय, किसी अध्यापक को दस माह से अनधिक अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत किए जाने के कारण हुई रिक्ति में, विश्वविद्यालय के शिक्षक संविदा पर विहित रूप से नियुक्त किए जायेंगे।

(ख) विश्वविद्यालय के शिक्षक को सदैव पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना बनाए रखना और परिनियमों में आधारित आचार संहिता का पालन करना होगाए जो कि नियुक्ति के समय शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने वाली संविदा का भाग होगा। आचार संहिता के किसी प्राविधान का उल्लघंन कदाचार समझा जायेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक को पदच्युक्त या हटाया जा सकता है या उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(ग) विश्वविद्यालय के शिक्षक को, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा या कदाचार या बेईमानी या परीक्षा कार्य करने से इंकार करने, कलंकात्मक आचरण या किसी नैतिक अधमता से सम्बन्धित किसी अपराध के लिए दोष सिद्व पाये जाने पर अथवा शारीरिक या मानसिक अक्षमता होने, या पद समाप्त होने या प्राधिकारियों, निकायों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्णयों का अनुपालन करने से इंकार करने के आधार पर, पदच्युक्त किया जा सकता या हटाया जा सकता है या उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(घ) धारा 41 की उपधारा (2) में उपबंधित के सिवाय, संविदा को समाप्त करने के लिए, किसी भी पक्ष को तीन माह से अन्यून समय के अंदर नोटिस देना होगा और/या ऐसे नोटिस के बदले में तीन माह के वेतन का भुगतान किया जायेगा या वापस किया जायेगाए जैसी भी स्थिति होय

परन्तु यह कि जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक को उपधारा (1) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन विश्वविद्यालय पदच्युक्त या पद से हटाती है या शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा संविदा की किसी वर्ष के उल्लघंन के लिए संविदा को समाप्त कर देता है, तो ऐसा नोटिस आवश्यक नहीं होगा;

परन्तु यह और कि पक्षकार, पारस्परिक सहमति से, पूर्णतः या अंशत नोटिस की वर्ष को त्यागने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ड) विश्वविद्यालय का शिक्षक किसी ऐसे व्यापार या कारोबार में भाग नहीं लेगा या विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विहित पुस्तकों पर टिप्पणियां (नोट्स) नहीं लिखेगा या कोई ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा, जिसके अंतर्गत शिक्षण (ट्यूशनस) निजी शिक्षण भी आता है, जिससे एक शिक्षक के रूप में उसके कार्य या कर्तव्यों में बाधा आने की संभावना है।
(च) पूर्णकालिक शिक्षक का कार्यभार किसी शैक्षिक वर्ष में नीचे विहित तीस कार्य सप्ताहों या एक सौ अस्सी दिवसों प्रति सप्ताह से कम नहीं होगा। शिक्षक के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रतिदिन न्यूनतम छः घंटों के लिए उपलब्ध होना आवश्यक हैए जिसके लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आवश्यक स्थान और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी। प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष शिक्षण के घंटे निम्नलिखित होंगेः-

शिक्षक	प्रति सप्ताह कार्यभार
प्रवक्ता/वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता (चयन पद क्रम)	18 घंटे (एक घंटा=60 मिनट)
उपाचार्य	15 घंटे
आचार्य	12 घंटे

परन्तु यह कि प्रशासन और अनुसंधान कार्यो में संलग्न अध्यापक (अध्यापकों) को कार्यभार में दो घंटे की छूट दी जा सकेगीय परन्तु यह और कि किसी शिक्षक का उपाचार्य या आचार्य के रूप में सीधे चयन किया जा सकता है। जीवनवृत्ति अभिवृद्धि योजना (कैरियर एडवान्समेंट स्कीम) के अंतर्गत प्रोन्नत शिक्षक का कार्यभार वही होगा, जो उनके स्थायी पद पर था।
(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय और स्ववित्त पोषित संस्थान के शिक्षक की निम्नलिखित सेवाशर्तें होगी-
(क) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय या स्ववित्त पोषित संस्था (राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अन्नय रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय से भिन्न) में प्रत्येक शिक्षक एक लिखित संविदा के अधीन, जिसमें ऐसी शर्तें और निबंधन होंगे, जो विहित किए जाएं, नियुक्त किया जायेगा। संविदा विश्वविद्यालय में संरक्षित रहेगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित शिक्षक को दी जायेगी तथा उसकी एक अन्य प्रतिलिपि सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा रखी जायेगी।
(ख) किसी शिक्षक को पदच्युक्त करने या हटाये जाने या पदावनत करने या किसी अन्य रीति से दंडित करने का प्रबंधन का प्रत्येक निर्णय, शिक्षक को अधिसूचित किये जाने से पूर्व कुलपति को सूचित किया जायेगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक उसे कुलपति द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।
(ग) ऐसे महाविद्यालयों या संस्थानों के शिक्षकों की अन्य सेवाशर्तें ऐसी होगी, जैसी समय-समय पर विहित की जाएं।

अध्याय - 7

सम्बद्धता तथा मान्यता

सम्बद्ध महाविद्यालय

50. (1) विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में अवस्थित किसी महाविद्यालय को, इस धारा में विहित सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने पर, राज्य स्वीकार की संस्तुति से, विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी।

(2) कुलसचिव द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों, एक हिन्दी व एक अग्रेंजी में नये महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने, संबद्ध महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों को मान्यता दिए जाने एवं पूर्व स्वीकृत पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन हेतु सूचना प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। प्रकाशित सूचना में विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित समस्त विवरण और संबद्धता हेतु निर्धारित शुल्क, इस बात को विशेष रूप में इंगित करते हुय कि महाविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अथवा अन्य किसी प्राधिकारी से अनुमोदन या मान्यता की अपेक्षा करता है, की जानकारी भी दी जाएगी।

(3) विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने हेतु, महाविद्यालय द्वारा विज्ञापन में निर्धारित समयावधि के भीतर निम्न सूचनाओं के साथ कुलसचिव को आवेदन किया जायेगा-

(क) यह कि उक्त महाविद्यालय से, जहां महाविद्यालय की स्थापना होनी है, उस स्थानीय क्षेत्र की शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति होगी;

(ख) यह कि महाविद्यालय का संचालन विधिपूर्वक गठित शासी निकाय के अधीन होगा;

(ग) यह कि शिक्षक वर्ग की संख्या, अर्हताएं, सेवावधि, महाविद्यालय में प्रस्तावित शिक्षण-प्रशिक्षण, निर्देशन की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं;

(घ) यह कि जिन भवनों में महाविद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है, उक्त भवन व महाविद्यालय द्वारा उन छात्रों के लिए, जो माता-पिता या अभिभावक के साथ निवास नहीं करते हैं, के लिए स्वीकृत आवास विहित नियमों के अनुरूप है;

(ड) यह कि पुस्तकालय के लिए समुचित व्यवस्था कर दी गयी है, या की जायेगी;

(च) यह कि यदि प्रायोगिक विज्ञान के लिए संबद्धता का आवेदन किया गया हो, तो नियम, परिनियमों व अध्यादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप सुसज्जित प्रयोगशाला अथवा संग्रहालय में शिक्षण की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है;

(छ) यह कि यथासंभव परिस्थितियों के अनुरूप, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य व प्राध्यापकों के लिएए,महाविद्यालय परिसर के भीतर अथवा निकट अथवा आवास के लिए निर्धारित स्थान पर आवास निर्मित करने की समुचित व्यवस्था की जायेगी;

(ज) यह कि महाविद्यालय के आय के स्रोत, महाविद्यालय के संचालन व देख-रेख हेतु पर्याप्त हैं;

(झ) यह कि छात्रों द्वारा भुगतान किये जाने वाले शुल्क के लिए नियम बना दिये गये हैं अथवा बनाये जायेंगे।

(4) नये महाविद्यालय की संबंद्धता के लिए व्यक्तिगत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, परन्तु महाविद्यालय के संचालन हेतु, बिना राजकीय सहायता के वित्तीय रूप से सक्षम रजिस्ट्रीकृत सोसाईटी या रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास से ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

(5) यह कि आवेदन पत्र में यह गारण्टी भी दी जायेगी कि सम्बद्धता स्वीकृत होने के उपरान्त, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की पुर्वानुमोदन के बिना प्रबंधतंत्र का स्थानान्तरण अथवा महाविद्यालय का नाम व कार्यशैली में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(6) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र, कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र पर विचार करने के उपरान्त कार्य परिषद स्थानीय जाँच समिति को स्थानीय जाँच करने हेतु निर्देश देगी;

परन्तु यह कि स्थानीय जाँच समिति में न्यूनतम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा।

(7) स्थानीय जाँच समिति, गठन की तारीख से 30 दिन के भीतर शैक्षिक परिषद को जाँच रिपोर्ट प्रषित करेगी।

(8) शैक्षिक परिषद, स्थानीय जाँच समिति की आख्या प्राप्त होने पर तत्काल जाँच आख्या पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हो, तो अग्रेत्तर जाँच कर अपने अभिमत के साथ जांच रिपोर्ट कार्यपरिषद को प्रेशित करेगी।

(9) कार्य परिषद, जाँच समिति की रिपोर्ट एवं शैक्षिक परिषद के प्रस्ताव पर विचार कर अपना अभिमत, यदि आवश्यक हो, तो अग्रेत्तर जाँच जैसी वह उचित समझे, कर यह निर्णय लेगी कि क्या आवेदन को पूर्णरूपेण स्वीकार किया जाए अथवा अंशतः स्वीकार किया जाय अथवा निरस्त किया जाय।

(10) कुलसचिव द्वारा, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से पूर्व आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ प्राप्त संलग्नक, परिशिष्ट, स्थानीय जाँच समिति की रिपोर्ट, शैक्षिक परिषद व कार्य परिषद का प्रस्ताव, राज्य सरकार को निर्णय हेतु प्रेशित किया जायेगा।

(11) राज्य सरकार, स्थानीय जॉच समिति, शैक्षिक परिषद व कार्य परिषद की संस्तुतियों एवं उपयुक्त जाँच, जैसा कि राज्य सरकार उपयुक्त समझे, के उपरान्त विश्वविद्यालय को संबद्धता, पूर्णरूपेण अथवा अंशतः स्वीकार करने, जिसमें प्रवेश क्षमता में परिवर्तन सम्मिलित है, अथवा अस्वीकार करने की संस्तुति विश्वविद्यालय को कर सकेगी।

(12) राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत किया जायेगा।

(13) संबद्धता की स्वीकृति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अथवा अन्य प्राधिकारी या निकाय के पूर्वानुमोदन के अधीन होगी एवं इन संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक छात्रों का प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(14) जहां राज्य सरकार की संस्तुति पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के लिए आवेदन पत्र, क्षमता के नियतन या उसके किसी भाग की स्वीकृति दे दी जाती है, विश्वविद्यालय आदेश में सम्बद्ध महाविद्यालय में पाठ्यक्रम तथा सम्बद्धता की अवधि अथवा विषय, प्रवेश क्षमता के साथ, विशिष्ट उल्लेख के साथ या बिना विशिष्ट उल्लेख करते हुए विनिर्दिष्ट करेगा।

(15) राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता हेतु प्रस्तुत आवेदन पूर्णरूपेण अथवा अंशतः अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में, तत्संबंधी कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

(16) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन, उपधारा (12) के अधीन आदेश पारित होने से पूर्व प्रत्याहरित किया जा सकेगा।

(17) संबद्धता का नवीनीकरण अथवा पूर्ववर्ती शिक्षण सत्र के लिए विद्यमान पाठ्यक्रम व अनुवर्ती पाठ्यक्रम, नए पाठ्यक्रम को छोडकर, संबद्धता विस्तारण, कार्य परिषद द्वारा शैक्षिक परिषद के परामर्श से उसी रीति से किया जायेगा, जैसी रीति नयी संबद्धता प्रदान करने के लिए लागू है।

(18) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्षवार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संबद्धता की स्वीकृति या संबद्धता विस्तारण आदेश में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश क्षमता, जैसी स्थिति हो, अवधारित की जायेगी;

परन्तु यह कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यथाविधि, अभियांत्रिकी, वास्तुकला एवं प्रबंधन, जिसमें संबद्ध महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं, के लिए प्रवेश क्षमता राज्य सरकार द्वारा नियत की जायेगी।

नये महाविद्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध

51. (1) संबद्धता मांग रहे नये महाविद्यालय या पूर्व से स्थापित महाविद्यालय, जिसके द्वारा नये पाठ्यक्रम की संबद्धता हेतु मांग की गयी है, के द्वारा तब तक छात्रों को पाठ्यक्रम में अथवा स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उस हेतु अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले संस्था के विरूद्ध ऐसी कार्रवाई की जायेगी, जैसी विहित की जाय।

परीक्षा में सम्मिलित होने पर प्रतिबंध

52. ऐसा कोई छात्र, जिसका प्रवेश अमान्य हो गया हो या जिसका प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित न किया गया हो या जिसको नये महाविद्यालय या अध्ययन के पाठ्यक्रम में विहित प्रवेश क्षमता से अधिक पर प्रवेश दिया गया हो, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के अयोग्य होगा।

स्थायी संबद्धता

53. (1) ऐसा महाविद्यालय, जो निरन्तर न्यूनतम पांच वर्षो से विश्वविद्यालय से संबद्ध रहा हो, और संबद्धता की सभी शर्तें पूरी करता हो तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं प्रशासनिक मापदण्ड, जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किए गए हों, प्राप्त कर चुका हो, स्थायी संबद्धता प्राप्त करने के लिए अर्ह होगा।

(2) स्थायी संबद्धता के लिए, धारा 50 में विहित रीति, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होगी।

(3) विश्वविद्यालय से स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य संचालन का, प्रत्येक पाँच वर्ष में न्यूनतम एक बार, राज्य सरकार व विश्वविद्यालय द्वारा पुनः परीक्षण किया जायेगा।

(4) पूर्वोक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि स्थायी रूप से संबद्ध महाविद्यालय, उपधारा (1) में विहित किन्ही शर्तों के पालन में असफल हो जाता है तो उसकी स्थायी संबद्धता प्रत्याहरित की जा सकेगी;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय द्वारा, सम्बन्धित महाविद्यालय को अवसर दि, बिना, स्थायी संबद्धता समाप्त नहीं की जा सकेगी;

परन्तु यह और कि स्थायी संबद्धता निरस्त होने पर संबंधित महाविद्यालय वार्षिक रूप से अस्थायी संबद्धता प्राप्त करेगा।

सम्बद्धता का प्रत्याहरण

54. (1) स्थायी अथवा अस्थायी संबद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय के अधिकार पूर्णतः अथवा अंशतः प्रत्याहरित किये जा सकेंगे। यदि कोई महाविद्यालय इस अधिनियम के किसी प्राविधान का अथवा सम्बद्धता की किसी वर्ष का पालन करने में असफल रहा है या महाविद्यालय का संचालन शैक्षिक हितों के विपरीत है तो ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय के अधिकार पूर्णतः अथवा अंशतः प्रत्याहरित किये जा सकेंगे।

(2) संबद्धता प्रत्याहरित किये जाने अथवा विशेषाधिकार संशोधित करने के प्रस्ताव पर कार्य परिषद में ही विचार किया जा सकेगा। कार्य परिषद के पदेन सदस्य सहित कोई सदस्य, जो ऐसा प्रस्ताव लाना चाहता है, लिखित में आधार सहित तत्संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव की प्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्धारित अवधि के भीतर स्पष्ट रूप से लिखित प्रत्यावेदन देने की सूचना सहित प्रेशित की जायेगी और उस पर कार्यपरिषद द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) उपधारा (3) में निर्धारित अवधि, कार्य परिषद द्वारा युक्तियुक्त समयावधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी।

(5) पूर्व उपधारा में उल्लिखित निर्धारित अवधि समाप्त होने अथवा महाविद्यालय का प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर कार्य परिषद, प्रस्ताव में निर्धारित आधार एवं उक्त सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन एवं आवश्यकता होने पर

उसके द्वारा गठित एवं अधिकृत समिति की जांचोपरान्त, तथा ऐसी किसी जांच के पश्चातए जो इनके द्वारा आवश्यक पाई जाये, प्रस्ताव पारित कर शैक्षिक परिषद को प्रेशित करेगी।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने परए शैक्षिक परिषद, यदि आवश्यक होए जांच कर अपना मत कार्य परिषद को सूचित करेगी।

(7) शैक्षिक परिषद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्य परिषद विचारोपरान्त सम्बद्वता वापस लिये जाने की संस्तुति का अंतिम प्रस्ताव पारित करेगी। उक्त प्रस्ताव, यदि बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से कम सदस्यों द्वारा पारित हो, तो वह पारित नहीं माना जायेगा।

(8) महाविद्यालय से प्राप्त उत्तर, कार्य परिषद व शैक्षिक परिषद के प्रस्ताव की सूचना एवं समस्त अभिलेख सहित सम्बन्धित प्रस्ताव कुलसचिव द्वारा निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

(9) राज्य सरकार, अग्रेत्तर जांच कर, जो वह उचित समझे, पूर्णरूपेण अथवा अंशतः या विशेष शिक्षण सत्र से सम्बद्वता वापस लेने या संशोधित करने के प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्देश विश्वविद्यालय को दे सकेगी।

(10) राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर, विश्वविद्यालय द्वारा औपचारिक आदेश जारी किये जायेगे।

(11) जिस किसी महाविद्यालय की सम्बद्वता पूर्णतः अथवा अशतः निरस्त की गयी हो, उस महाविद्यालय के छात्रों को निकटतम महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा, समायोजित किये जाने वाली छात्रों की संख्या के अनुसार प्रवेश क्षमता में वृद्वि करते हुये, समायोजित किया जायेगा। ऐसे छात्रों से सम्बन्धित सभी अभिलेख, ऐसे महाविद्यालय से जिसकी सम्बद्वता वापस ली गयी है उस महाविद्यालय को हस्तान्तरित किये जायेगे, जिस महाविद्यालय कें छात्रों को समायोजित किया गया हो।

प्रबंधतंत्र की सदस्यता के लिए अनर्हता

55. (1) कोई भी व्यक्ति, (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अनुरक्षित महाविद्यालय से भिन्न) सम्बद्व या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये निरर्हित होगा, यदि वह अथवा उसका सम्बन्धी ऐसे महाविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है अथवा ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए अथवा उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए, निर्धारित विधि को पूर्ण किये बिना, संविदा स्वीकार करता है;

परन्तु यह कि इस धारा में "सम्बन्धी" का तात्पर्य, अनर्ह व्यक्ति से रक्त या वैवाहिक रूप से संबंधित व्यक्ति से हैं;

परन्तु यह और कि शिक्षक का ऐसा संबंधी, जो उत्तराखण्ड में अवस्थित किसी संबद्ध महाविद्यालय से पारिश्रमिक प्राप्त करता है, महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र हेतु सदस्य के चुनाव के लिए अयोग्य होगा;

परन्तु यह भी कि सहकारी समिति, जो महाविद्यालय को सामान की आपूर्ति करती हो, का अध्यक्ष ऐसे महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र की सदस्यता के लिए अनर्ह नहीं होगा।

सम्बद्व महाविद्यालय का निरीक्षण या जांच

56. (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे, किसी सम्बद्व या किसी सहयुक्त महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी हैं और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के संबंध में जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीनए निरीक्षण या जांच कराने का निश्चय करे तो वह उसकी सूचना प्रबंधतंत्र को देगी और प्रबंधतंत्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा, यदि प्रबंधतंत्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे, तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबंधतंत्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा, किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी उपस्थित नहीं होगा और न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी बात पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य देने और साक्ष्यों के उपस्थित होने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1974) की धारा 345 एवं 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) विश्वविद्यालय, प्रबन्ध तंत्र को ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम अभिसूचित कर सकेगा और की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्देश दे सकेगा तथा प्रबन्धतंत्र ऐसे निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

(5) कुलपति द्वारा, उपधारा (4) के अधीन प्रबन्धतंत्र द्वारा की गयी कार्यवाही की अभिसूचना के बारे में, राज्य सरकार को सूचित किया जायेगा।

(6) राज्य सरकार और विश्वविद्यालय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र अथवा प्राचार्य से, ऐसे निरीक्षण अथवा जांच के संबंध में किसी भी समय कोई जानकारी मांग सकेगी।

विश्वविद्यालय के परिसर

57.(1) अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार कार्य के लिए स्थापित विश्वविद्यालय के परिसर होंगे ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जायें।

(2) विश्वविद्यालय के परिसर का निदेशक, परिसर में नामांकित छात्रों के अनुशासन हेतु उत्तरदायी होगा एवं परिसर में नियुक्त प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा। परिसर निदेशक द्वारा ऐसी शक्तियों काए जो विहित की जायें, प्रयोग किया जायेगा।

स्वायत्त महाविद्यालय

58. (1) विश्वविद्यालय, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को, जो इस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करे, ऐसे महाविद्यालय में शिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित अध्ययन पाठ्यक्रमों में, विहित रीति से परिवर्तन करने, तथा इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगा।

(2) ऐसे महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने की सीमा तथा परीक्षा लेने की रीति प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जायेगी।

(3) ऐसा कोई महाविद्यालय, विहित रीति से स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के संस्थान

59. विश्वविद्यालय, किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के संगठन एवं संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा। वरिष्ठतम प्राध्यापक अथवा सम्बन्धित विषय का अध्यक्ष, इस उपधारा के अधीन स्थापित संस्थान (संस्थानों) का निदेशक होगा।

अध्याय-8
प्रवेश और परीक्षाएँ

छात्रों का प्रवेश

60. (1) कोई भी छात्र किसी भी स्नातक उपाधि के अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश पाने के लिए पात्र न होगा, जब तक कि उसने-

(क) (एक) विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो,

(दो) कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ऐसी कोई उपाधि प्राप्त न कर ली हो, जो ऐसी परीक्षा या उपाधि हो जिसे विश्वविद्यालय ने इण्टरमीडिएट परीक्षा या विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के समकक्ष मान्यता दी हो, और

(ख) वह ऐसी अतिरिक्त अर्हताएं, यदि कोई हो, रखता हो, जो अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) वह शर्तें, जिन के अधीन छात्र विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकेंगे, अध्यादेशों द्वारा विहित की जायेगी।

(3) विश्वविद्यालय को (किसी उपाधि या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के प्रयोजनार्थ) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को अपनी उपाधि के समकक्ष अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा को किसी भारतीय विश्वविद्यालय की इन्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करने की शक्ति होगी।

(4) कोई छात्र, जिसका कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियों में से किसी एक में संलग्न होना भी शामिल है, विश्वविद्यालय परिसरों या किसी संस्था या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से, अध्यादेशों के प्राविधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय से हटा दिया जायेगा-

(क) असंतोषजनक कार्य,

(ख) कदाचार,

(ग) किसी नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्व पाया जाना,

(घ) रैगिंग में सम्मिलित होना,

(ङ) किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होना जिससे विश्वविद्यालय की छवि मलिन होती है,

(च) किसी प्रकार की अनुशासनहीनता।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी प्रकार के अभिदान आदि का वर्जन

61. किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय या स्ववित्त पोषित संस्था के प्रबन्धनतंत्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य शिक्षक या अन्य कर्मचारी ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये नियमों की दरों पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नगद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने व प्राप्त करने देगा।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु अभिदाय एवं अभिदान

62. जहां स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की दत्त शुल्क स्थानों के सापेक्ष नगद या वस्तुओं के रूप में अंशदान या दान या संदाय, विश्वविद्यालय या इसके किसी सम्बद्ध संस्थानों द्वारा लिया जाता है या प्राप्त किया जाता है, तो उक्त अंशदान और दान उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जायेगा, जिसके लिए वह लिया गया था और ऐसा नगद अंशदान या दान सम्बन्धित संस्थान के वैयक्तिक खाता बही के नामे किया जायेगा, जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन संचालित हो।

विश्वविद्यालय के छात्रावास

63.(1) यह धारा उस विश्वविद्यालय पर लागू होगी, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(2) विश्वविद्यालय के छात्रावास वही होंगे जो.

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा परिनियमों में नामित हों,

(ख) कार्य परिषद द्वारा ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित की जायें, मान्यता प्राप्त हो।

(3) छात्रावासों के वार्डन और अन्य कर्मचारीवृन्द अध्यादेशों द्वारा उपबंधित रीति से नियुक्त किए जाएंगे।

(4) कार्य परिषद को किसी ऐसे छात्रावास कीए जो उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार घोषित न हो, मान्यता को निलंबित करने या प्रत्याहरित करने की शक्ति होगी;

परन्तु यह कि ऐसे छात्रावास के प्रबंधतंत्र को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्व प्रत्यावेदन देने का अवसर प्रदान किये बिना, कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय के ऐसे छात्रों के लिए, जो किसी संघटक महाविद्यालय या छात्रावास में अथवा उनकी देख-रेख में नहीं रहते हैं, निवास स्थान, स्वास्थ्य तथा कल्याण संबंधी व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने के लिए एक पौरछात्र केन्द्र (छात्र समिति) होगी। पौरछात्र केन्द्र का गठन, शक्ति तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

परीक्षाएं

64. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन हेतु व्यवस्था का निदेश देगी;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्याकंन की अनुमति नहीं देगा और कोई अनुपूरक परीक्षा नहीं होगी;

परन्तु यह और कि किसी छात्र अभ्यर्थी को, परीक्षा परिणाम में सुधार करने की दृष्टि से, परिनियमों के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं के साथ होने वाली सुधार परीक्षाओं में, स्नातक पूर्व परीक्षा के किसी भाग के एक विषय (प्रायोगिक परीक्षाओं को छोडकर) या शिक्षा स्नातक के एक सिद्वान्त के प्रश्न पत्र या विधि स्नातक के किसी एक

वर्ष या स्नातकोत्तर परीक्षा के किसी भाग के एक सिद्धान्त प्रश्न पत्र में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी, परन्तु अभ्यर्थियों द्वारा सुधार परीक्षाओं में इस प्रकार प्राप्त अंक अंतिम परिणाम होंगे।

अध्याय-9
परिनियम, अध्यादेश एवं विनियमन

65 परिनियम

(1) इस अधिनियम के परन्तुकों के साथ यह परिनियम विश्वविद्यालय सम्बन्धी किसी भी विषय एवं विशेषतः निम्नलिखित पर प्रभावी होगी-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां एवं कर्तव्य,

(ख) प्राधिकरणों के सदस्यों के निर्वाचन नियुक्ति एवं कार्यकाल, कार्यरत सदस्यों की अवस्थिति तथा रिक्त सदस्य स्थानों की पूर्ति एवं प्राधिकरणों से सम्बन्धित समस्त विषय जो आवश्यक हों,

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कृत्यकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य,

(घ) विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्त पोषित संस्थानों के शिक्षकों का वर्गीकरण तथा नियुक्ति (न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव सहित)। इसके साथ ही उनके वार्षिक विवरण का प्रस्तुतिकरण संचालन के नियम, अध्यापकों की परिलब्धियाँ तथा सेवाशर्ते, (अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रावधानों सहित),

(च) विश्वविद्यालय में अन्य पदों पर नियुक्तियाँ, (न्यूनतम योग्यताओं तथा अनुभवों सहित) उनकी परिलब्धियॉ तथा अन्य सेवाशर्तें, (अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रावधानों सहित),

(छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कृत्यकारियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन तथा भविष्य निधि का गठन तथा बीमा योजनाओं की स्थापना,

(ज) उपाधि/डिप्लोमा का निर्धारण,

(झ) मानक उपाधियों का प्रदान करना,

(ट) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों तथा अन्य शैक्षिक सम्मानों का प्रत्याहरण,

(ठ) संकायों की स्थापना, संविलियन, उन्मूलन तथा पुनर्गठन,

(ड) संकायों में शिक्षण विभागों की स्थापना,

(ढ) महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थानो को सम्बद्धता तथा मान्यता प्रदान करने की शर्तें एवं ऐसी सम्बद्धता एवं मान्यताओं को वापस लेने की शर्तें,

(त) किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र की मान्यता,

(थ) विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के गैर शैक्षणिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या, न्यूनतम योग्यतायें, अनुभव, परिलब्धियॉ, अन्य सेवाशर्तें (सेवानिवृत्ति की आयु तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्राविधानों सहित) तथा उनकी सेवाओं के विवरण,

(द) छात्रवृत्तिए शोधवृत्ति, अध्येतावृत्ति, पदक, पुरस्कार तथा पीठों की स्थापना,

(ध) स्नातकों की योग्यतायें, शर्तें एवं पंजीयन तथा पंजीकृत स्नातकों की पंजिका का रख रखाव,

(न) दीक्षान्त समारोह का आयोजन, यदि कोई हो, तथा

(प) अन्य समस्त विषय, जिन्हें इस अधिनियम के द्वारा अथवा परिनियम द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

66.(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, जब तक प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनाये जायें, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त नियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुये, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्धन जो आवश्यक व समीचीन हो, के रूप में हो और जिसको राज्य सरकार द्वारा राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किया जाये, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

(2) कार्यपरिषद समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरासित कर सकेगी।

(3) कार्यपरिषद किसी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम के प्ररूप का प्रस्ताव नही रखेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) प्रत्येक नया परिनियम, परिनियम में संयोजन, संशोधन या निरसन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा, जो इस पर अपनी सहमति प्रदान कर सकेगी, उसे रोक कर रख सकेगी या पुनर्विचार के लिए कार्यपरिषद को वापस कर सकेगी।

(5) कार्यपरिषद द्वारा पारित कोई परिनियम उस तारीख से जब राज्य सरकार एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाये अथवा ऐसी पश्चातवर्ती तारीख से जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये प्रभावी होगा।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्धित संस्थानों की संस्तुतियों को लागू करने के लिए नये अथवा अतिरिक्त परिनियम बना सकती है अथवा उपधारा (1) में उल्लिखित परिनियमों में संशोधन अथवा निरसन कर सकती है। ऐसे परिनियम उन विशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में अन्य सभी परिनियमों पर अधिभावी होंगे।

(7) कार्यपरिषद को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अन्तर्गत बनाये गये परिनियमों में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन करने की शक्ति नही होगी और न ही ऐसे परिनियमों के असंगत किन्हीं अतिरिक्त परिनियमों को बनाये जाने की शक्ति होगी।

अध्यादेश

67.(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिये इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किये जायेंगे:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन और निरन्तरता;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा के लिये अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठयक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षा सम्बन्धी विशिष्टताएं ;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की सभी उपाधि; तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठयक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षा सम्बन्धी विशिष्टतायें ;

(घ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें ;

(ड.) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित के छात्रावासों के प्रबन्ध की शर्तें;

(च) ऐसे छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हो, मान्यता और प्रबन्ध ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना,

(ज) पत्राचार पाठयक्रमों तथा व्यक्तिगत छात्रों से सम्बन्धित सभी विषय;

(झ) अभिभावक-शिक्षक संघो की स्थापना,

(ञ) फीस जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय या स्ववित्त पोषित संस्थान द्वारा किसी प्रयोजनार्थ ली जा सके,

(ट) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें, रीति तथा उसके कर्तव्य,

(ठ) परीक्षा का संचालन,

(ड) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिये जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता, जिनके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं,

(ढ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों, अध्यादेशों द्वारा किये जाएं।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

68.(1) प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश वही होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, जहाँ तक वे इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के असंगत न हों, प्रवृत हों;

परन्तु यह कि ऐसे किन्हीं अध्यादेशों के उपबन्धों को इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हो, कर सकेगी जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो और उपबन्ध कर सकेगी कि अध्यादेश ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिदिष्ट की जाय, इस प्रकार किये गये अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे और किसी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपत्ति नही की जायेगी।

(2) कुमाऊँ तथा गढवाल विश्वविद्यालय तथा शासन द्वारा अधिसूचित अन्य किसी विश्वविद्यालय और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात स्थापित किये जाने वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे।

(3) इस उपधारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कार्यपरिषद समय-समय पर नए या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगीं या उपधारा (1) व (2) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी ;

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नही बनाया जायेगा .

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश, पर प्रभाव पडे या जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षायें अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि पाठयक्रम में प्रवेश के लिए धारा 60 में वर्णित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करें, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप शैक्षिक परिषद द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो,

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा रीति एवं उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं का किसी पाठयक्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव पडे जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय या संकायों की प्रस्थापना के अनुसार न हो, या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप शैक्षिक परिषद द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो, या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय और व्यय पर प्रभाव पडे, जब तक कि उसका प्ररूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(4) कार्य परिषद को उपधारा (3) के अधीन शैक्षिक परिषद द्वारा प्रस्थापित किसी प्ररूप को संशोधित करने की शक्ति नही होगी, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे शैक्षिक परिषद को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी जिसका कार्य परिषद सुझाव दे।

(5) कार्य परिषद द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निदेश दे और राज्य सरकार को यथाशीघ्र तथा कुलाधिपति को राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे,

परन्तु यह कि कार्य परिषद किसी अध्यादेश को भूतलक्षी प्रभाव दे सकेगा।

(6) राज्य सरकार तथा कुलाधिपति तीन माह के अन्दर अध्यादेश अथवा उसके किसी भाग को इस धारा की उपधारा (5) के अधीन अस्वीकार कर सकेगी अन्यथा इसे अनुमोदित समझा जायेगा।

विनियमन

69.(1) इस अधिनियमए परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगा-

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने,

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों, और

(ग) किसी ऐसे अन्य विषय का उपबन्ध करना, जिनका सम्बन्ध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गए विनियमों मे उसके सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले काम काज का अभिलेख रखे जाने की व्यवस्था करेगा।

(3) कार्य परिषद सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को निरसित कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये और तदोपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तद्नुसार विनियम को निरसित करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगाय

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय का समाधान किसी ऐसे निदेश से न हो तो वह राज्य सरकार को अपील कर सकता है जो कार्य परिषद के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(4) अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुये शैक्षिक परिषद विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठयक्रम की व्यवस्था करने के लिये विनियम सम्बन्धित संकाय के बोर्ड द्वारा उसके प्ररूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात ही बना सकेगा।

(5) शैक्षिक परिषद को उपधारा (4) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्ररूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये वापिस कर सकेगी।

अध्याय-10
वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

70.(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्यपरिषद के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे सभा (कोर्ट) को उसके वार्षिक अधिवेशन के एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी। वार्षिक रिपोर्ट में कार्यकारी सार संक्षेप, जिसमे विश्वविद्यालय के सभी मुख्य क्रियाकलापों का उल्लेख हो, सम्मिलित किया जाएगा।

(2) सभाए संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

71.(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र कार्य परिषद के निदेशाधीन तैयार किए जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धन और ऐसी रकमें जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखी गई लेखा में प्रविष्ट की जायेंगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जो उनकी संपरीक्षा कराएगी।

(3) वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र की सम्परीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियां संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों सहित कार्य परिषद द्वारा सभा तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।

(4) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथाविहित रकम से अधिक हो जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जाएगी जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी।

(5) कार्य परिषद, जो वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(6) वार्षिक लेखा तुलनपत्र तथा संपरीक्षा रिपोर्ट पर सभा अपनी वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और सभा उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी।

(7) कुलपति या कार्य परिषद द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना वैध न होगा-

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या जो बजट मंजूर होने के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों की दशा मेंए ऐसे अनुदान के निबन्धों के अनुसार न हो;

परन्तु इस उपधारा में किसी बात के होते हुए भी अग्निकांडए बाढ, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति एक लाख से अधिक ऐसा अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा जो बजट में मंजूर हो और ऐसे सभी व्यय की सूचना वह अविलम्ब राज्य सरकार को देगा।

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन तात्पार्यित कुलाधिपति या राज्य के किसी आदेश का विरोध करने के लिए किसी मुकदमें के सम्बन्ध में हो।

अधिभार

72.(1) धारा 9 के खण्ड (ख) से (ज) तक में विहित विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा धारा 95 में सूचीबद्व केन्द्रीय सुविधाओं के प्रधान, उपेक्षा या कदाचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति, अपव्यय या दुरूपयोग हेतु अधिभार के लिए दायी होंगे।

(2) अधिभार की क्रियाविधि एवं ऐसी क्षति अपव्यय या दुरूपयोग में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की प्रक्रिया ऐसी होगीए जैसी विहित की जाय।

अध्याय-11
सम्बद्ध महाविद्यालयों के विनियमन

सूचना जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

73. यदि राज्य सरकार को किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा अनरू रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती हैः-

(एक) कि उसके प्रबन्ध तंत्र ने महाविद्यालय के शिक्षकों या अन्य कर्मियों को उस मास के, जिसके सम्बन्ध में या जिसके भाग के सम्बन्ध में वेतन संदेह है, अगले मास की 20वीं तारीख तकए वेतन का संदाय करने में जानबूझकर बारबार व्यतिक्रम किया है या;

(दो) कि उसका प्रबन्धतंत्र ऐसी अर्हताओं वालेए जो महाविद्यालय के सम्बन्ध में शैक्षिक संबंधी स्तरों को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये आवश्यक है, शिक्षक नियुक्त करने में असफल रहता है, अथवा उसने परिनियमों या अध्यादेशों के उल्लघंन में किसी शिक्षक की नियुक्ति की है या सेवा में रखा हुआ है, या

(तीन) कि ऐसे किसी विवाद ने, जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार के बारे में है कि वे उसके प्रबंधतंत्रए प्रबन्धन के विधिपूण दाधिकारी है, महाविद्यालय के सूचारू और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव डाला है, या

(चार) कि उसका प्रबंधतंत्र महाविद्यालय को ऐसे पर्याप्त और उचित आवास, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, प्रयोगशाला, उसकर और अन्य सुविधायें, जो महाविद्यालय के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक है, की व्यवस्था करने में लगातार असफल रहा है, या

(पांच) कि उससे प्रबंधतंत्र इसका प्रबन्धन महाविद्यालय की परिसम्पति या सारवान रूप से इस प्रकार परिर्वतन, दुरपयोजन या दुर्विनियोजन किया है जिससे महाविद्यालय को अहित हो, तो वह प्रबंधतंत्र से यह कारण दर्षित करने की मांग कर सकेगी कि धारा 73 के अधीन आदेश क्यो न किये जाये;

परन्तु जहां यह विवाद हो कि प्रबंधतंत्र के पदाधिकारी कौन है, तो ऐसी सूचना उन सभी व्यक्तियों को जारी की जायेगी जो ऐसा होने का दावा करते है।

प्राधिकृत नियत्रंक

74.(1) यदि धारा 73 के अधीन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई होए पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि इस धारा में वर्णित कोई आधार विद्यमान है, तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगी की वह

महाविद्यालय और उसकी परिसम्पति का प्रबंध दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लियेए जो विनिर्दिष्ट की जाये, अपने हाथ में ले ले और वह प्रबंधतंत्र को अपवर्जित करके होगा और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक प्रबंध को इस प्रकार अपने हाथ में लेता है तब इन निबंधनों के अधीन रहते हुये, जैसा राज्य सरकार अधिरोपित करें, से महाविद्यालय तथा उसकी सम्पत्ति के प्रबंध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां व प्राधिकार होगे जैसा की प्रबंधतंत्र को उस समय होता जबकि महाविद्यालय और उसकी परिसम्पति इस उपधारा के अधीन हाथ में नहीं ली गयी होती;

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की राय हो कि महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित बनाये रखने के लिये ऐसा करना समीचीन है तो वह समय-समय पर इस आदेश के प्रर्वतन का विस्तार ऐसी अवधि के लिये, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, यथा विनिर्दिष्ट रूप में कर सकेगी। किन्तु इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि, जिसके अंतर्गत इस उपधारा के अधीन प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है, पॉच वर्ष से अधिक न हो;

परन्तु अग्रेत्तर यह कि इस पॉच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर भी महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र का गठन विधि सम्मत ढग से न हो सका हो तो, प्राधिकृत नियंत्रक तब तक इस पद पर कार्य करते रहेंगे, जब तक राज्य सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता कि प्रबंधतंत्र का गठन विधि सम्मत ढंग से हो गया है;

परन्तु यह और कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन किये गये आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) धारा 73 के अधीन सूचना जारी करते हुये जब राज्य सरकार की राय अभिलिखित कारणों से यह हो कि महाविद्यालय के हित में अविलम्ब कार्यवाही किया जाना आवश्यक है तो, वह प्रबंधतंत्र को निलम्बित कर सकेगी, जो कि तदोपरानत कृत्य नहीं करेगा और महाविद्यालय तथा उसकी सम्पत्ति के कार्यकलापों के प्रबंध के लिए अग्रेत्तर कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसी व्यवस्था करेगी जैसा कि वह उचित समझे;

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जब कि ऐसे आदेश के अनुसरण, में प्रबंधतंत्र को वास्तव में हाथ में लिया जाता है, छः मास से अधिक के लिये प्रवृत नहीं रहेगा;

परन्तु यह और कि उक्त छः मास की अवधि की संगणना करने में वह समय, जिसके दौरान यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा निलंबित रहा था या कोई अवधि जिसके दौरान प्रबंधतंत्र द्वारा धारा 73 के अधीन सूचना के अनुसरण में कारण दर्षित करने में असफल रहा था, अपवर्जित कर दी जायेगी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह प्राधिकृत नियंत्रक को महाविद्यालय की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करने (प्रबंध करने के साधारण अनुक्रम में मासानुमास किराए पर दिये जाने के सिवाय) या उस पर कोई प्रभार सृजित करने की राज्य सरकार या भारत सरकार से महाविद्यालय को किसी सहायता अनुदान की प्राप्ति की वर्ष के सिवाय शक्ति प्रदान करती है।

(4) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश महाविद्यालय के या उसकी सम्पत्ति के प्रबंध और नियंत्रण से सम्बन्धित किसी अधिनियामिति या किसी लिखित प्रपत्र में उससे असंगत किसी बात के होते हुये भी प्रभावी होगा।

(5) राज्य सरकार प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकेगी, जिन्हे वह महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति के उचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझें और प्राधिकृत नियंत्रक उन दिशा निदेशों का पालन करेगा।

प्राधिकृत नियंत्रक को सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त करने का कर्तव्य

75.(1) जहाँ किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में धारा 74 के अधीन आदेश किया गया हो, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या अभिरक्षा या नियन्त्रणाधीन महविद्यालय की कोई सम्पत्ति हैए वह सम्पत्ति प्राधिकृत नियंत्रक को तत्काल परिदत्त कर देगा।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति, जो उस आदेश की तारीख पर महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी बही या अन्य दस्तावेज पर कब्जा या नियंत्रण रखता है, उक्त बही और अन्य दस्तावेजों का लेखा प्राधिकृत नियंत्रक को देने

के लिए दायी होगा और उन्हें उसको या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित विनिर्दिष्ट कर, परिदत्त करेगा।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक, कलेक्टर से महाविद्यालय अथवा उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा और नियंत्रण परिदत्त करने के लिये आवेदन कर सकेगा और कलेक्टर, प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे महाविद्यालय या सम्पत्ति का कब्जा सुनिश्चित कराने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगा और विशिष्टतया यथावश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा या करायेगा।

अध्याय-12
सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के वेतन का संदाय

अप्राधिकृत कटौती के बिना निर्धारित समय पर वेतन का भुगतान किया जाना

76.(1) किसी अन्य बात के असंगत होते हुए भी महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन का संदाय उस महीने, जिसके पूर्ववर्ती महीने हेतु वेतन या उसका कोई भाग देय है, की 20 वीं तारीख तक अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा घोषित किसी पूर्ववर्ती तारीख से पहले किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेश या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा प्रवृत्त सम्प्रति प्राधिकृत कटौतियों को छोडकर वेतन का संदाय बिना किसी कटौती के किया जायेगा।

निरीक्षण करने का अधिकार

77.(1) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित क्षेत्र के उप निदेशक अथवा उनसे उच्च कोई भी अधिकारी किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय का निरीक्षण कर अथवा करवा सकते हैं अथवा ऐसी सूचनायें एवं अभिलेख, (रजिस्टर, बहियों सम्बन्धी वाउचर्स सहित) जो कि शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान सम्बन्धी हों, को महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र से मंगवाने अथवा प्रबन्धतंत्र को वित्तीय औचित्य के अनुपालनार्थ मानदण्ड निर्धारण करने सम्बन्धी कोई दिशा निर्देश, (किसी शिक्षक या कर्मचारी की छंटनी अथवा किसी प्रकार धन के अपव्यय के निषेध हेतु दिशा निर्देश सहित) जैसा कि वह उचित समझें, दे सकते हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन छंटनी सम्बन्धी प्रत्येक निर्देश निर्गत किये जाने से पूर्व शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा उस तारीख का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, जिस तारीख से छंटनी प्रभावी होगी।

(3) जहां उपधारा (1) व (2) के अनुसरण में छंटनी सम्बन्धी कोई निर्देश निर्गत किये गये है, सम्बन्धित शिक्षक अथवा कर्मचारी ऐसे निर्देश में उदृधत तारीख से ही इस अध्याय के अनुसरण में भरण-पोषण अनुदान के प्रयोजनार्थ उस महाविद्यालय के शिक्षक अथवा कर्मचारी नही रह जाएंगे।

अधिसंख्य पद

78. कुलपति राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा, प्रशासन या अन्य समान दायित्व के निर्वहन के लिये राष्ट्रीय महत्व का पद धारण कर रहे शिक्षक या कर्मचारी को उसकी वरिष्ठता एवं धारणाधिकार बनाये रखने और परिनियमों के अनुसार इस प्रकार दायित्व के निर्वहन की अवधि में नियमित रूप से उसके वेतनमान में वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्तक लाभ, यदि कोई हो, अर्जित करान के दृष्टिकोण से सृजित कर सकती है;

परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक या कार्मिक को वेतन का कोई संदाय विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा यथास्थिति, ऐसे दायित्व के निर्वहन की अवधि में नहीं किया जाएगा।

कतिपय महाविद्यालयों के वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया

79.(1)प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्ध तंत्र अपने शिक्षकों एवं कार्मिकों के वेतन का वितरण किसी अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में एक पृथक खाता खोलकर करेगा, (जिसे आगे इस अध्याय में वेतन संदाय खाता कहा गया है) जो प्रबन्ध तंत्र के एक प्रतिनिधि तथा उप निदेशक या उप निदेशक द्वारा नामित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा;

परन्तु यह कि वेतन भुगतान खाता खोलने के पश्चात उप निदेशक, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा किया जाना लोकहित में समीचीन है, धारा 83 द्वारा बनाये गये नियमों के अध्यधीन बैक प्रबंधक या उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित किये जाने के आदेश दिये जा सकेगे और ऐसा आदेश किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा सकता है;

परन्तु यह और कि उपधारा (3) में संदर्भित अथवा किसी अन्य स्थिति में प्रबन्ध तंत्र को कारण बताने का अवसर दिये जाने के पश्चात यदि उप निदेशक की यह राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है तो उप निदेशक बैंक को यह निदेश दे सकता है कि वेतन संदाय खाता केवल उनके द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी के द्वारा जिसे इस निमित्त प्राधिकृत किया जायेए संचालित किया जाएगा और ऐसा आदेश किसी भी समय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रत्याहरित किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर साधारण अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि महाविद्यालय का प्रबन्ध तंत्र वेतन संदाय खाते में राशि का वह भाग, जो छात्रों से शुल्क के रूप में प्राप्त किया गया है तथा पूर्णतः अथवा अषतः महाविद्यालय के हित लाभ के लिए महाविद्यालय की किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति से प्राप्त आय का वह भाग, भी आदेश में उल्लिखित तारीख तक जमा कर करेगा और तदोपरान्त प्रबंधतंत्र ऐसे निर्देश के अनुपालन के लिए बाध्य होगा।

(3) जहॉ उप निदेशक की यह राय हो कि प्रबन्ध तंत्र द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में यह तद्नुसार जारी आदेशों के अनुरूप शुल्क जमा करने में असफल रहा है, तो उप निदेशक छात्रों से शुल्क वसूली हेतु प्रबंध तंत्र पर प्रतिबन्ध लगा सकता है और तदोपरान्त वह (महाविद्यालय के शिक्षकों या अन्य किसी माध्यम से जैसा वह उचित समझे) छात्रों से सीधे शुल्क वसूल कर सकेगा और ऐसा वसूल किया गया शुल्क वेतन संदाय खाते में जमा करेगा।

(4) राज्य सरकार, वेतन संदाय खाते में अनुरक्षण निधि के रूप में वह राशि भी जमा करेगी जो उपधारा (2) एवं (3) में जमा राशि पर विचार करने के उपरान्त उपधारा (5) के अनुसार संदत्त करने के लिए आवश्यक है।

(5) वेतन संदाय खाते में जमा कोई भी राशि निम्न प्रयोजनों के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लायी जायेगी, अर्थात-

(अ) महाविद्यालय के किसी शिक्षक अथवा कर्मचारी के 9 नवम्बर 2000 के उपरान्त पडने वाली किसी अवधि हेतु देय वेतन के भुगतान के लिए,

(ब) सम्बन्धित महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में प्रबन्ध तंत्र के अंशदान (यदि कोई हो) के भुगतान के लिए।

(6) शिक्षक या कार्मिक का वेतन, वेतन संदाय खाते से अन्तरित कर उसी बैक के उसके खाते में संदत किया जाएगा, और यदि उस बैंक में उसका खाता न हो तो चैक द्वारा संदाय किया जायेगा।

वेतन के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व

80.(1) राज्य सरकारए उस प्रत्येक महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय सहायता प्राप्त सूची में सम्मिलित किये गये हों।

(2) राज्य सरकारए ऐसी किसी राशि को, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दायित्व लिया गया है, महाविद्यालय की अथवा महाविद्यालय में निहित सम्पति की आय से उसी प्रकार वसूल कर सकगी, मानो कि वह राशि उस महाविद्यालय से भू राजस्व के अवशेष के रूप में देय हो।

(3) इस उपधारा में उल्लिखित कोई भी बात महाविद्यालय को अपने शिक्षकों तथा कर्मचारियों के किसी भी देय के दायित्व से मुक्त नही करेगी।

(4) इस उपधारा में उल्लिखित कोई भी बात स्ववित्त पोषित संस्थाओं के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतन के लिए लागू नही होगी।

दण्ड, जुर्माना एवं प्रक्रिया

81.(1) यदि धारा 77 में दिये गये निदेशों के अधीन या धारा 76 अथवा धारा 79 के उपबंधों के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति, जो उस व्यतिक्रम के घटित होते समय प्रबन्धक हो या महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र एवं परिचालन के अधिकार से युक्त हो, धारा 76 के उपबंधों का उल्लघंन करने के लिये अर्थदंड जो अधिकतम 2000/- रू0 होगा और अन्य किसी उल्लघंन के लिये कारावास से जो अधिकतम छः माह हो अथवा दोनो से दंडित होगा, जब तक कि वह यह सिद्व न कर दे की उक्त व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना हुआ है अथवा उसने ऐसे व्यतिक्रम को रोकने के लिये पूर्ण प्रयास किया था।

(2) उप निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना कोई न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नही लेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अपराध होगा परन्तु पुलिस उपाधीक्षक से निम्न स्तर का कोई अधिकारी, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना न तो इसकी जॉच करेगा और न ही वारंट के बिना गिरफ्तारी करेगा।

(4) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अनिम्न स्तर का कोई न्यायालय इस धारा के अधीन घटित अपराध का संज्ञान नही लेगा।

आदेशों की अन्तिमता

82. राज्य सरकारए उच्च शिक्षा निदेशक, उप निदेशक अथवा इस प्रकार प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

83.(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

(2) प्रत्येक बनाया गया नियम यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

अध्याय - 13
शास्तियां तथा प्रक्रिया

शास्तियां

84.(1) जो कोई धारा 61 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन माह तक की हो सकती है या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो-

(क) महाविद्यालय की कोई ऐसी सम्पत्ति का, जिसके संबंध में धारा 74 के अधीन आदेश किया गया था, कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखता है, ऐसी सम्पत्ति को उस धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक से या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से दोषतः रखे रहता है, या

(ख) ऐसे महाविद्यालय की किसी सम्पत्ति का कब्जा दोषतः अभिप्राप्त करता है, या

(ग) कोई बही या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जेए अभिरक्षा या नियंत्रण में हों, प्राधिकृत नियंत्रक को, या उसके द्वारा विर्निदिश्ट धारा 75 की उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने में जानबूझकर रोकता है या असफल रहता है, या

(घ) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के सभी या किसी उपबंध का सम्यक रूप से पालन करने में जानबूझकर बाधा डालता है;

सिद्ध दोष होने पर ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा;

परन्तु इस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराते समय, उसे यह आदेश दे सकेगा कि वह दोषतः रखी गयी या दोषतः अभिप्राप्त किसी सम्पत्ति को, या जानबूझकर रखी गयी किसी बही या दस्तावेज को न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, परिदत्त कर दे, या वापस कर दे।

न्यायालय द्वारा संज्ञान

85. कोई भी न्यायालयए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, धारा 84 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा अपराध

86.(1) यदि धारा 84 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति, सोसायटी रजिस्टेशन अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाईटी हो तो, सोसाईटी और अपराध किए जाने के समय कारोबार के संचालन के लिए सोसाईटी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और वह तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा;

परन्तु यह कि इस उपधारा की किसी बात से कोई व्यक्ति किसी दण्ड का दायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि उसकी जानकारी के बिना अपराध किया गया था, या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाईटी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध कर दिया जाता है कि ऐसा अपराध उस सोसाईटी के किसी सदस्य की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या ऐसे अपराध का किया जाना सोसाईटी के किसी सदस्य की उपेक्षा के कारण हुआ

है, तो ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार वह अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय - 14
विविध

अधिकारियों तथा प्राधिकारी सदस्यों की नियुक्ति की रीति

87.(1) इस अधिनियम या परिनियमों में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में के सदस्य, यथासम्भव, निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जाएंगे।

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हताएं अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाए।

(3) जहां इस अधिनियम में निर्वाचन के लिए कोई उपबन्ध किया गया हो तो ऐसा निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संकमणीय मत द्वारा संचालित किया जाएगा और जहां परिनियमों में निर्वाचन के लिये उपबन्ध किया गया है तो वह ऐसी रीति से होगा जैसी परिनियमों द्वारा उपबन्धित हो।

(4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवायए विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के निर्वाचन में खडे होने के लिये पात्र न होगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

88.(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जाएगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी होए चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे और तत्पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथाविधि नियुक्त न हो जाए।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का विधिमान्य न होना

89.(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि:-

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिये हकदार नहीं था, या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पडता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

90. सभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिये सिद्व दोष हुआ है जो सभा की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धी अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के लिये अशोभनीय होए हटा सकती है और उन्हीं आधारो से किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधिए डिप्लोमा या प्रमाण पत्र वापस ले सकती है।

राज्य सरकार को निर्देश

91.(1) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा;

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश:-

(क) उस तारीख के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्,

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यक्ति के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा;

परन्तु यह और कि राज्य सरकार आपवादिक परिस्थितियों में-

(क) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निर्देश ग्रहण कर सकेगी,

(ख) जहां निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो राज्य सरकार ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगी जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे,

संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र के विरूद्ध आदेशों को लागू करने की कुलपति की शक्ति-

92.(1) जहां पर किसी संबंद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र किसी शिक्षक की पदावनति या अन्य प्रकार से दंडित अथवा पदच्युत अथवा सेवाओं की बर्खास्तगी से संबंधित निर्णय को कुलपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कुलपति द्वारा शिक्षक के निलम्बन का स्थगन, निरसन अथवा संशोधन किया गया हो और प्रबंधतंत्र द्वारा ऐसे शिक्षक के ऐसे वेतन भुगतान में जानबूझकर व्यतिक्रम किया गया हो जो कुलपति के आदेश के अनुसरण में देय है तो कुलपति प्रबंधतंत्र कए उस शिक्षक के तेन का भुगतान तथा निलम्बन की अवधि का निलम्बन भत्ता जो कि देय वेतन का आधा होगा, जिसका भुगतान न किया गया हो, के संदाय का आदेश पारित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में संदर्भित किसी मामले में कुलपति, ऐसी उन शर्तों के अधीन जैसा वह उचित समझे, किसी शिक्षक की सेवा में बहाल करने का आदेश दे सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन वेतन तथा निलम्बन भत्ते की धनराशि कुलपति द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भू-राजस्व अवषेश के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कुलपति द्वारा जारी प्रत्येक आदेश का क्रियान्वयन क्षेत्राधिकार वाले कनिष्ठतम दीवानी न्यायालय के द्वारा अदालत की डिक्री के रूप में निश्पादित किया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन उस विषय के सम्बन्ध में, जिसमें कुलपति द्वारा राहत दी जा सकती हए प्रबन्धतंत्र अथवा शिक्षक के विरूद्व कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा।

वाद का वर्जन

93. विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय द्वारा सम्यक रूप से और सदभावना से किये गये सभी कार्य एवं आदेश उस अधिनियम में यथाउपबन्धित के सिवाय, अन्तिम होगें और राज्य सरकार उच्च शिक्षा निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा अधिकृत नियंत्रक अथवा विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, कृत्यकारी, प्राधिकारी व निकाय के विरूद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशायित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोइ कार्यवाही की जा सकेगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

94.(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो, ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जाएगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

केन्द्रीय सुविधाएं

95.(1) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित केन्द्रीय सुविधाएं होंगीः-

(क) केन्द्रीय पुस्तकालय;

(ख) विश्वविद्यालय विज्ञान उपकरण केन्द्र;

(ग) कम्प्यूटर केन्द्र;

(घ) केन्द्रीय प्रयोगशाला;

(ड) केन्द्रीय विविध संरचना अनुरक्षण सुविधा;

(च) विश्वविद्यालय रोजगार एवं निर्देशन ब्यूरो;

(छ) ऐसी अन्य सुविधा, जो आवश्यक हो, तथा जिसे विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और/अथवा सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो।

(2) प्रत्येक केन्द्रीय सुविधा का संचालन व प्रबंधन विश्वविद्यालय द्वारा सुविधा को स्वीकृत करने वाले निकाय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

(3) प्रत्येक केन्द्रीय सुविधा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक स्वतंत्र स्वरूप को बनाए रखेगी।

(4) केन्द्रीय सुविधाएं सामान्यतया विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व अनुरक्षण सुविधाएं बनाए रखने में सहायता करेंगी तथा विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों को इन सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करेगीं कि प्रदाता तथा उपभोगकर्ता के बीच अधिकतम समन्वय हो।

(5) उपधारा (1) के उपखण्ड (क) से (घ) में सूचीबद्ध केन्द्रीय सुविधाओं का तात्पर्य शैक्षणिक इकाईयों से होगा तथा इन इकाईयों के शैक्षणिक कर्मचारी की अर्हता, वेतन और संवर्ग के आधार पर शिक्षकों के समतुल्य माने जायेंगे।

(6) प्रत्येक केन्द्रीय सुविधा में कार्यरत वरिष्ठतम सदस्य उस इकाई का अध्यक्ष होगा तथा सीधे कुलपति के प्रति उत्तरदायी व कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा।

अधिकरण

96.(1) धारा 43 अथवा धारा 44 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति-संविदा से उठने वाला कोई विवाद अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः-

(क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा),

(ख) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की दशा में, महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अध्यापक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा);

परन्तु यह कि विहित समय के भीतर उनके संयोजक नियुक्त करने में असफल रहने पर कुलपति पेनल में से संयोजक नामनिर्दिष्ट करेगा।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति या सम्बन्धित निकाय उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जारी रखी जा सकती हैं, जिस प्रक्रम पर रिक्त की पूर्ति की जाए।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगीरू.

(एक) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(दो) सम्बन्धित अधिकारी या शिक्षक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना; और

(तीन) सम्बन्धित अधिकारी या शिक्षक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलम्बित होने, हटाये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन अधिकरण पर लागू न होगी।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) द्वारा अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो;

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारिता युक्त निम्नवत न्यायालय द्वारा इस प्रकार निष्पादनीय होगा मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

निश:क्त व्यक्तियों को लाभ

97.(1) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्मित विधि के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा निश:क्त व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रदतः लाभ निश:क्त व्यक्तियों को इस अधिनियम के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से देय होंगे;

परन्तु यह कि बोलने व सुनने में अक्षमता वाले व्यक्ति विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होंगे या उनको शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

अध्याय - 15
संक्रमणकालीन उपबन्ध

विश्वविद्यालय के विद्यमान अधिकारियों का बना रहना

98. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व तारीख को किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबंधन तथा शर्तों पर अपने पदावधि की समाप्ति तक पद धारण किए रहेगा।

विद्यमान प्राधिकारियों का गठन

99.(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीघ्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जायेगा तथापि इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पूर्व किसी प्राधिकरण में सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान शर्तों पर अपनी सेवा की अवधि तक पद पर बना रहेगा।

(2) जब तक कि उप धारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का गठन न किया जाये, राज्य सरकार आदेश द्वारा समय-समय पर निर्देश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य तथ्य अथवा निर्वहन योग्य शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निवर्हन किसके द्वारा और किस रीति से किया जायेगा।

(3) जब तक किसी विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता, इस अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कार्यों का निर्वहन उप-कुलपति या वरिष्ठतम प्रोफेसर या छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नामित विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(4) जब तक धारा 17 के अनुसार कुल सचिवए उप कुल सचिव एवं सहायक कुल सचिव की नियुक्ति नहीं हो जाती, उस समय तक कुल सचिवए उप कुल सचिव अथवा सहायक कुल सचिव के रिक्त पद पर राज्य सरकार द्वारा अस्थायी नियुक्ति की जा सकेगी।

चयन समितियों के संबंध में अन्तरिम प्राविधान

100.(1) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व हुई चयन समितियों की सभी कार्यवाहियां एवं ऐसी चयन समितियों की संस्तुतियों के संबंध में प्रबन्ध समिति अथवा कार्य परिषद, जैसी भी स्थिति हो, की तत्सम्बन्धी समस्त कार्यवाही, जहां उक्त आधार पर इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व नियुक्ति आदेश जारी न किये गये हो, इस अधिनियम के अधीन चयन प्रक्रिया में परिवर्तन के बावजूद वैध समझी जायेगी किन्तु ऐसे विचाराधीन चयनों के संबंध में आगे की कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन एवं उस अवस्था से प्रारम्भ की जायेगी जहां तक कार्यवाही इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पूर्व थी।

(2) जब तक धारा 41 की उपधारा (5) के अधीन विशेषज्ञों के पैनल का गठन नहीं किया जाता, राज्य सरकार अथवा कुलपति द्वारा, यथास्थिति, इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पूर्व विद्यमान पैनल में से विशेषज्ञों को नामित किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि उपधारा (5) के स्पष्टीकरण (एक) एवं (दो) के प्राविधान इस खण्ड में संदर्भित विशेषज्ञों के पैनल पर व ऐसे पैनल में से किये गये नामांकन पर भी लागू होंगे।

विश्वविद्यालय के आदेशों को निरस्त करने की शक्ति

101.राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के किसी ऐसे आदेश, अधिसूचना, प्रस्ताव या किसी अन्य कार्यवाही को रद्द कर सकती है, जो राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम या परिनियमों, विनियम या अध्यादेशों के प्राविधान के अनुसार नहीं है अथवा राज्य सरकार की नीति के विपरीत है;

परन्तु यह कि ऐसी आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार विश्वविद्यालय को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने का एक अवसर देगी।

कठिनाई को दूर करने की शक्ति

102.(1) किसी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार अधिसूचित आदेश के द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के प्राविधान, तब तक आदेश में निर्दिष्ट इस अवधि तक प्रभावी रहेंगे जब तक उक्त आदेशों का राज्य सरकार द्वारा, जैसा कि आवश्यक व उपयुक्त हो उपान्तरण, संशोधन अथवा निरसन न किया जाता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक आदेश राज्य विधान सभा के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी किसी आदेश को इस आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि उपधारा (1) में इंगित कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

कर्मचारियों का स्थानांतरण

103.(1) किसी करार, अनुबन्ध अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए तथा विश्वविद्यालय के कार्मिकों की लागू सेवा की शर्तों के अधीन, राज्य सरकार प्रशासनिक कारणों से विश्वविद्यालय में किसी पद पर धारित कार्मिक को इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी अन्य अधिनियम के अधीन स्थापित एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित कर सकेगी, और इस प्रकार स्थानान्तरित कार्मिक की सेवा शर्तें ऐसी होगी, जैसी शर्तें स्थानान्तरण आदेश में विहित हो। ऐसे स्थानान्तरण पर कार्मिक को उस विश्वविद्यालय में जहाँ कर्मचारी का स्थानान्तरण किया गया हो, सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त समझा जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसे स्थानान्तरित कार्मिक को पूर्व विश्वविद्यालय में धारित पद का धारणाधिकार रखने, या स्थानान्तरित विश्वविद्यालय में आमेलन का विकल्प उपलब्ध होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसे स्थानान्तरण आदेश जारी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर्मचारी द्वारा धारित पद का नियुक्ति प्राधिकारी समझा जायेगा।

(3) इस प्रकार स्थानान्तरित कर्मचारी राज्य सरकार के तत्समान पद वेतनमान के कर्मचारियों को लागू यात्रा भत्ता, यात्रा अनुदान एव यात्रा व्यय के लिए अर्ह होगा।

(4) इस प्रकार जनहित में स्थानान्तरित कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण, जिसके द्वारा पूर्व विश्वविद्यालय में पद का धारणाधिकार का विकल्प न दिया गया हो, स्थानान्तरित विश्वविद्यालय में मूल पद/संवर्ग में तैनाती की मौलिक तिथि से किया जायेगा।

निरसन एवं व्यावृत्ति

104.(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम, यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची
(धारा 4)

क्र0सं0	विश्वविद्यालय	कार्यक्षेत्र
01	कुमायूँ विश्वविद्यालय	अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ, चम्पावत, बागेश्वर, एवं उद्यमसिंह नगर जनपद
02	हे0न0ब0 गढवाल विश्वविद्यालय	चमोली, पौडी गढवाल, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं देहरादून जनपद
03	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय , हरिद्वार	उत्तराखण्ड में समस्त संस्कृत स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय
04	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 23 /2005) की धारा 3 के अनुसार
05	दून विश्वविद्यालय	दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 18/2005) की धारा 3 के अनुसार)